टेली-लॉ वंचित लोगों तक पहुँच

TELE-LAW

Reaching the Unreached

लाभार्थियों की आवाज

Voices of the beneficiaries



टेली-लॉ अब कानूनी सलाह पाना हुआ आसान







रविशंकर प्रसाद RAVI SHANKAR PRASAD



मंत्री विधि एवं न्याय, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी भारत सरकार

MINISTER OF LAW & JUSTICE, COMMUNICATIONS and ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNMENT OF INDIA

Foreword

'To wipe every tear from every eye' was one of the paramount concerns before Mahatma Gandhi. This message resonates in full degree in Tele-Law Programme of the Government, as a robust platform for mainstreaming legal aid to the marginalized community, especially at the pre-litigation stage. Launched originally in 2017, the programme aims at legally empowering the citizens through the use of technology. That more than 6.70 lakh beneficiaries received pre-litigation advice under Tele-Law is in itself an impressive feat. What is yet more remarkable is that the YoY growth trajectory has surpassed the 300% mark.

I am delighted that the second edition of the booklet, "Tele-Law – Voices of the Beneficiaries" is being released on 12 March 2021, coinciding with the beginning of the "Bharat Ka Amrut Mahotsava". This landmark Mahotsava is an apt occasion for all of us to reaffirm our commitment towards "Justice for All" and render justice delivery as a citizen-centric service. I see the booklet as a tribute to the Mahatma, who believed in the principle of "unto the last".

I am confident that Tele Law will continue to expand its footprints and effectively contribute in the process of inclusive governance being vigorously pursued by the Narendra Modi Government.

[Ravi Shankar Prasad]

Room No. 402, 'A' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001. Phone: 23387557, 23386976, 23386974, FAX: 23384241

CONTENT

1	FAMILY MATTERS	5
2	EMPOWERING WITH INFORMATION	15
3	FIGHTING INJUSTICE	26
4	OVERCOMING PROCEDURAL HURDLES	.38
5	RELIEF TO THE COVID DISTRESSED	.45
6	RESOLUTION OF PROPERTY DISPUTES	.56

LIST OF ABBREVIATIONS

CSC COMMON SERVICE CENTRES

DLSA DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY

FIR FIST INFORMATION REPORT

IPC INDIAN PENAL CODE

MGNREGA MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT

PL PANEL LAWYERS

PLV PARA LEGAL VOLUNTEERS

RBI RESERVE BANK OF INDIA

SDM SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE

SHO STATION HOUSE OFFICER

SSP SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE

UT UNION TERRITORY

VLE VILLAGE LEVEL ENTREPRENEUR

FAMILY MATTERS



CASE 1

Ms. Sita Rani* lives separately with her 2 children in a village in Ramanathapuram district of Tamil Nadu. Her husband used to fight and beat her regularly. The neighbours told her that her husband was involved in an illicit relationship with another woman. She needed an advice in this regard. She got to know about Tele-Law scheme through the banner at CSC. She approached VLE, Mr. Saranya who registered her case.

Mr. Bala Kumar, the Panel Lawyer appointed for her case advised her not to get swayed on mere hearsay or to harbour any kind of suspicion of her husband's involvement in such kind of illicit relationship with another woman. Before the Court, she must clearly establish that her husband was involved in an affair outside the wedlock and that has caused her emotional abuse. Tele-Law helped Ms. Sita Rani remove any confusion and gave her clarity to not act with haste and impatience in family matters.




Tele-Law helped Ms. Sita Rani remove any confusion and gave her clarity to not act with haste and impatience in family matters.

Mr. Vishwanath Verma resides with his wife in Gumdi village of Balrampur district in Uttar Pradesh. As time passed, generally on very petty issues, daily domestic quarrels with his wife ensued, that started to affect their marital life. Afraid that his marital life should not fall apart, he came in contact with VLE, Mr. Sandeep Kumar who advised him to register his case and consult with the Panel Lawyer under the Tele-Law scheme.

Ms. Preeti Gupta, the Panel Lawyer advised Mr. Verma that normal disputes or quarrels do not entitle either spouse to seek divorce legally against each other. It is preferred to first sort out differences amicably and mutually between each other or in consultation with the elders or trained counsellors. They can also seek support from the village panchayat. However, if the problem persists and escalates, then he could file divorce case in the family court. It was briefed that under the Hindu Marriage Act, 1955 divorce can only be provided within the conditions prescribed u/Section 13 of the Act that include cruelty, desertion, etc.

Determined to save his marriage, Mr. Verma followed the advice and talked to his wife. Both of them apologised for their mistakes and committed that they will try to harmoniously resolve their family problems and try to ignore small issues so that they can live happily together. He was very thankful to Tele-Law as it helped him bring back harmony in his marital life.



Mr.Vikas Mandal* was living with his wife in a village of Murshidabad district in West Bengal. The husband and wife already had strained marital relations. Alleging dowry harassment and torture, Mrs. Mandal had filed an FIR against him and also implicated his family member's u/s 498A, 406 of IPC. Victimized and stressed, he was told by VLE, Mr. Prosenjit Mondal to register his case for legal advice.

Mr. Amitava Chakraborty was appointed Panel Lawyer for his case. He analysed the case and advised him that during investigation if the allegations filed in the FIR /complaint are found to be false, charges would not be framed by the Investigating agencies. False FIR can also be quashed by the High Court u/s 482 of Criminal Procedure Code. However, in order to circumvent the police custody, Mr. Mandal may first apply for bail u/section 438 before the respective District Court with legal assistance from an advocate.

Through Tele-Law service, Mr. Mandal got the courage to endure the psychological trauma and to fight the alleged fake dowry case.



Through Tele-Law service, Mr. Mandal got the courage to endure the psychological trauma and to fight the alleged fake dowry case.

Mr. Aman Kumar's friend was married to a girl, against their parents' will. The girl was neither accepted by her in-laws nor was she allowed to enter her parents' home. The girl went to her Aunt's house. Undue pressure was put on the boy to leave the girl. Mr. Kumar got to know about the Tele-Law scheme through Para Legal Volunteer, Mr. Pravin Kumar Ravidas in Sameli village of Kathihar district in Bihar who asked him to seek the legal advice, in order to assist his friend.

Ms. Punam Chaturvedi was appointed his lawyer. She advised him to bring forth the matter for an amicable solution before the village Panchayat. If the problem remains unresolved, then it was advised to file a petition in the Court where notice will be served to both families for reconciliation. Mr. Kumar was very thankful that through Tele-Law he was sensitized to deal with the issue with care and caution and share this information with his friend.



Mr. Kumar was very thankful that through Tele-Law he was sensitized to deal with the issue with care and caution and share this information with his friend.

Mr. Ravi Kumar*, a differently abled person lived with his wife in Bakhatpur village of Chamba district in Himachal Pradesh. One day his wife left him without any reason. She started living with her parents and denied to come back home. She had filed a complaint of domestic violence against him. Mr. Kumar felt humiliated and abused as he believed that the allegations levelled against him to be baseless and the fact of his physical disability was known to his wife before their marriage.

Mr. Deepak Kumar, the VLE told him about the Tele-Law Scheme and advised him to get legal advice.

The Panel Lawyer Ms. Aditi Bhardwaj advised Mr. Kumar that if his wife has withdrawn from her marital obligations without any reasonable cause then a petition could be filed under section 9 of Hindu Marriage Act, 1955, that would entitle him to seek order from the court wherein his wife would be asked to return and have marital relations. This is called the Application for Restitution of Conjugal Rights. In case his wife still denies to obey Court's order under Section 9, then he would be entitled to seek divorce on ground of desertion and cruelty.

Satisfied with the legal advice, Mr. Kumar has sent a legal notice to his wife and is thankful to the Tele-Law scheme.



Satisfied with the legal advice, Mr. Kumar has sent a legal notice to his wife and is thankful to the Tele-Law scheme.

Ms. Rupa Kumari, a resident of village Hemara in Gaya district of Bihar is deeply concerned about her sister's marital future. Her sister's husband eloped with a girl of his village. Aggrieved, her sister wanted to file divorce. The Applicant who herself is a PLV, registered her matter for advice from the Panel Lawyer.

Mr. Sanjiv Verma was appointed the Panel lawyer in her case. He explained Ms. Kumari that the conduct of her sister's husband was severe as it has eroded the trust on which marital relationship is formed. As it must have caused mental pain and anguish to the aggrieved, Ms. Kumari's sister is entitled for divorce on ground of mental cruelty and desertion by her husband. The Panel Lawyer advised her to consult a private lawyer or take support from the District Legal Service Authority (DLSA) and file a case of divorce in the court.

With support from Tele-Law, Ms. Kumari could protect her sister's future from the hands of such untrustworthy and irresponsible husband, and empowered her sister to live a life of dignity.



With support from Tele-Law, Ms. Kumari could protect her sister's future from the hands of such untrustworthy and irresponsible husband, and empowered her sister her to live a life of dignity.

Mrs. Kiran Begum, resides with her Son Shabaz Ali and her step daughter (name Shaheen) in Smalsar village of Moga district of Punjab. Mrs. Begum's step daughter got married against her parents consent. According to Shaheen's brother Shabaz Ali, they were against this love marriage because they alleged Shaheen's husband to be a drug addict. It was informed that the married couple have resorted to Police and have threatened them with their support. So, Mrs. Begum was worried about herself, her family members and also about Shaheen's future.

The Panel Lawyer Ms. Aksh Basra reviewed the matter and advised them (Shabaz Ali and Mrs. Begum) that as their daughter is an adult, she is legally eligible to marry anyone. But as the couple and their relatives are threatening them, they may file an FIR at the local Police Station.

Mrs. Begum's family followed the advice of the Panel Lawyer and lodged an FIR in the local police station mentioning all those who have threatened their life. Mrs. Begum and Shabaz Ali felt relaxed and are living their life peacefully because of Tele-Law.



Mrs. Begum's family followed the advice of the Panel Lawyer and lodged an FIR in the local police station mentioning all those who have threatened their life. Mrs. Begum and Shabaz Ali felt relaxed and are living their life peacefully because of Tele-Law.

Mr. N. Rama Mohan Reddy got married secretly to his girlfriend in a temple in Kondapuram village in YSR Kadapa district of Andhra Pradesh. After marriage, Mr. Reddy's wife went back to stay at her parents' home. His wife's parents denied to accept their marriage and there was a fear that her parents may force the girl to marry someone else. Afraid that his wife would be forcibly married to someone else, he wanted to know the process of registration of marriage and to procure legal documents. He got to know about Tele-Law Scheme through the VLE, Mr. Chowduru Raja who registered his case for legal advice.

The Panel Lawyer Ms. Chetana Udwala, advised him that to obtain a marriage certificate both partners would need to fill and sign the application form and submit documents like two photographs of the marriage ceremony, invitation card of marriage, age and address proof of both parties, affidavit of Notary/Executive Magistrate to prove that there is a legal marriage under the Hindu law. They would also have to submit proof of mental fitness and non-relationship between the parties within the degree of prohibition. Simultaneously, he was advised to seek mediation for settlement of matrimonial dispute.

Mr. Reddy registered his marriage in the court and has obtained the marriage certificate. He is very thankful to the Tele-Law Service which helped the couple to be together.



Mr. Reddy registered his marriage in the court and has obtained the marriage certificate. He was very thankful to the Tele-Law Service which helped the couple to be together.

Mrs. Kanniya Kumari, resides in Virudhunagar city in Tamil Nadu with her husband. Due to some misunderstanding her husband sought divorce from her. But she was not willing to give divorce as she has a kid and was also financially not in a position to support herself and the child. Helpless and traumatized by the situation, Mrs. Kumari was asked by Ms. Ponnuchami, the PLV to seek legal advice under Tele-Law Scheme.

Mr. Bala Kumar the appointed Panel Lawyer for her case informed her that a person cannot be forced to stay in a marriage. It is very complicated when one party is seeking divorce and the other does not want to give. If one party wants to discontinue the relationship, the spouse has to serve a legal notice to the other spouse and petition has to be filed in the court stating the grounds for breakdown of marriage. However, he assured her that Court will not give divorce immediately. On filing of the divorce petition by one party the Court will take into consideration various factors including maintenance to be given to dependents. In case Ms. Kumari gets such a petition she would have to engage a lawyer to file a petition and seek alimony for it.

Mrs. Kumari discussed the matter with her family members. She is very thankful to the Tele-Law for helping her get proper guidance.



Mrs. Kumari discussed the matter with her family members. She is thankful to the Tele-Law for helping her get proper guidance.

FIGHTING INJUSTICE



Ms. Gurdeep Kaur (grandmother of victim Ms. Renu Kaur) an eighty year old widow, resides in Bhullar village of Moga district in Punjab with her son Mr. Tarsem Singh who is a drug-addict and her three minor granddaughters of age 14 years, 12 years and 10 years. Mr. Tarsem Singh's wife expired and his daughters are being looked after by Ms. Gurdeep Kaur (Grandmother). Mr. Tarsem used to beat and torture his daughters regularly and on several occasions has thrown them out of the house. Later, Mr. Tarsem pressurized his 14 year old daughter, a minor, Renu Kaur to marry a 35 year old man. All the four (3 girls and their grandmother) fought against this but no-one helped them and were compelled to leave the hometown. Thereafter, the children along with their grandmother shifted to their maternal village in Bagha Purana in Moga. Devastated and disappointed Ms. Gurdeep Kaur approached CSC Tele—Law to take strict action against her son and the person who was ready to marry her granddaughter.

Ms. Gurdeep Kaur came to know about the scheme through Tele-Law posters outside the CSC and through information provided by VLE, Mr. Gagandeep Singh. On registration of her case, Ms. Aksh Basra was appointed as her lawyer.

On behalf of Ms. Gurdeep Kaur, VLE, Mr. Gagandeep Singh briefed the situation to the Panel Lawyer. It was informed that despite lodging an FIR and filing of an application to SSP Muktsar, the Police of Muktsar and Moga are not helping them. The Panel Lawyer, Ms. Aksh Basra advised Ms. Gurdeep Kaur to resubmit a written complaint to SSP Muktsar and to file another application to the Department of Child Development and



Ms. Gurdeep Kaur is extremely grateful to the Tele-Law support in the field that helped her and her granddaughters to live a life of safety, security and dignity.

CASE 1

Social Justice.

On being advised, Ms. Gurdeep Kaur went to District Legal Services Authority (DLSA) Moga, SHO Smalsar and SHO Muktsar office. Tele-Law State Coordinator also assisted Ms. Gurdeep Kaur in her consultation with the DLSA Advocate who called SHO Smalsar (Moga) to clear the matter immediately. Case was referred to Muktsar, the hometown of Ms. Gurdeep Kaur where the drug addict father and the man who was ready to marry her granddaughter were living. The Police officer immediately took action. The officials raided village Bhullar and the house of that man who was trying to marry the minor. Both men were arrested by them. They were released after written affidavit was signed by both of them mentioning that they would not torture the poor minor girls in future. At present Ms. Gurdeep Kaur is living in Muktsar along with the minor girls with assurance and security from village Sarpanch and villagers.

Ms. Gurdeep Kaur is extremely grateful to the Tele-Law support in the field that helped her and her granddaughters to live a life of safety, security and dignity.

CASE 2

Ms. Karanpreet Kaur* resides in a village in Moga district in the State of Punjab. In 2014, Ms. Kaur (15 years) while returning from school, was raped by a villager Mr. Sandeep Singh*. He was 39 yrs old at that time and was arrested on the FIR lodged by the victim's father. Legal action was taken against him under section 376 of IPC and Section 3 & 4 of Schedule Caste and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act of 1989 and Section 3 & 4 of Protection of Children from Sexual Offences Act, (POCSO) 2012. The accused, Mr. Sandeep Singh was sentenced to imprisonment for ten years and was directed to pay a compensation of 2 lakhs to the victim. After an year, Sandeep Singh was found moving freely in the village. Till date, the victim, Ms. Kaur has only received Rs. 50,000/-rupees as compensation.

Ms. Kaur was told about the Tele-Law scheme by VLE Mr. Sukhvir Singh who got her case registered under the "instant legal advice feature" of the Tele-Law for her consultation with the Panel Lawyer. Ms. Aksh Basra was the appointed lawyer in her case who advised Ms. Kaur's mother and brother Jaspal Singh* to seek legal help on this issue from District Legal Services Authority (DLSA) Moga, so that the accused Mr. Sandeep Singh could be put behind bars and for the timely release of the compensation to the victim.

It is learnt that Ms. Kaur's family is very poor and illiterate and is afraid to file any case of contempt in the DLSA (MOGA) court. In addition, Ms. Kaur is now of marriageable age and the family members are afraid of her marriage prospects getting hampered. However, being persuaded by the Tele-Law State Coordinator, VLE, PLV and other CSC officials the entire case was consulted on her behalf with the Chief Judicial Magistrate (CJM) Moga. The CJM carefully went through the case and has assigned DLSA empanelled Senior Lawyer to file this case for complete legal aid & assistance in the civil court Moga to avail the compensation of Rs 1.5 lakh.

Tele-Law is truly proving to be the voice of the voiceless and is helping victims like Ms. Kaur to seek what is due to them.



Tele-Law is truly proving to be the voice of the voiceless and is helping victims like Ms. Kaur to seek what is due to them.

Ten years ago, **Ms. Saraswathy TM**, resident of Krishnagiri village in Wayanad district in the State of Kerala took loan from M/s. Federal Bank, Branch Batheri. The payment of the loan was defaulted and the Bank Authorities filed suit before the civil court. In 2018, the said case was settled in Lok Adalat. Ms. Saraswathy TM immediately paid the amount and the entire transaction with the Bank was closed. However even after two years of continued follow up with the Bank Authorities, Ms. Saraswathy TM has not received the original title deed that was pledged with them at the time of availing the loan.

Dissatisfied, Ms. Saraswathy TM approached Tele-Law for a legal consultation. She was told about the scheme by Para-Legal Volunteer, Mr. Arjunkrishna K Azad. VLE Mr. Soni Azad KK got Ms. Saraswathy TM's case registered for consultation with the Panel Lawyer, Mr. Chhithra Lala.

Mr. Chhithra Lala advised in detail that if no amount is due and there is no bank Loan to be exercised then the bank has no right to retain any title deeds. Ms. Saraswathy TM was advised to send a demand notice to the Branch Manager and to the Regional Manager for seeking response on delay in releasing the title deeds deposited with the bank at the time of availing the loan. And even after a reasonable time, if any valid response is required from the Bank, Ms. Saraswathy TM can file a petition before the Banking Ombudsman for redressal of her grievance.

Through Tele-Law Ms. Saraswathy TM has found new hope and direction to get back her pending title deeds from the bank.



Through Tele-Law Ms. Saraswathy TM found a new hope and direction to get back her pending title deeds from the bank.

Mr. Yogindra Kumar, a resident of Piprakhurd village in Palamu district of Jharkhand has been receiving calls from an unknown person, who asked him to download an App to increase his income and receive gifts. Mr. Kumar in ignorance downloaded the App and after some time he found out deductions from his Bank Account. Unable to judge the illegal intentions, Mr. Kumar also transferred Rs. 20,000/- to that person through different transactions. When further asked to share his ATM card and Bank Account number Mr. Kumar realized that he has been trapped to siphoin off his money by this unknown person.

Mr. Kumar came to know about the Tele-Law Scheme through VLE, Mr. Ramesh Kumar Paswan who registered his case for consultation. Mr. Gaurav Kumar Sinha was appointed as his panel lawyer who straightaway advised him to lodge a complaint and to share the transaction details with the Cyber Crime Cell of Police. He was also advised to immediately remove the said App from his mobile and also to share the link with the Cyber Crime Cell.

It is learnt that Mr. Kumar has complained to Cyber Crime Cell in Police Station and is thankful to Tele-Law service that is assisting innocent people in not falling prey to such conmen.



Mr. Kumar has complained to Cyber Crime cell in Police stationand is thankful to Tele-Law service that is assisting innocent people in not falling prey to such conmen.

In Paharthan village of the district of Budgam in UT of Jammu & Kashmir, high tension electric cables were installed which also covered **Mr. Farooq Ahmad Sheikh's** agricultural field, without his permission. Suffering a great loss on his crop, Mr. Sheikh wanted to know the process of its removal, as no other agricultural work could be undertaken on the land where the electric cables are passing through the land. Mr. Sheikh came to know about the scheme through Para-Legal Volunteer, Mohd. Ashraf Rather and with the support of VLE, Mr. Sirjohn Ahmad Dar got his case registered for consultation with a Panel Lawyer.

Mr. Manzoor the appointed lawyer in his case advised him not to remove the power line illegally, but to make a written complaint and send it to District Collector, Tehsildar and Chief Engineer of Power department regarding removal of high tension wires from his agricultural land.

Mr. Sheikh is thankful to Tele-Law that guided him to take correct legal recourse in resolving the issue.



Mr. Sheikh is thankful to Tele-Law that guided him to take correct legal recourse in resolving the issue.

Mr. Harbans Singh, a resident of Smalsar village in Moga district of Punjab, had a bank account in the State Bank of Patiala Branch of Smalsar (now merged with SBI). Mr. Harbans alleged that he was taken advantage of his illiteracy by Mr. Manjeet Singh (the Bank Manager of State Bank of Patiala) and employee Mr. Sukhpal Singh (clerk). Mr. Harbans stated that he was duped to become guarantor on the loan issued to daily wage peon of the bank named Mr. Jagseer Singh. He further alleged that all the three got thumb impression of Mr. Harbans Singh on some papers. Later on, due to the merger of banks, Mr. Jagseer lost his job and a new Bank Manager took charge of the Bank. The Bank Manager held Mr. Harbans liable as the loan guarantor of Mr. Jagseer Singh as he had defaulted on his loan. Agonized and harassed by the situation VLE, Mr. Gagandeep Singh got Mr. Harbans to seek legal advice from the Panel Lawyer under Tele-Law through its "instant call feature"

Ms. Aksh Basra was the appointed lawyer in his case. Mr. Harbans was asked by the Panel Lawyer to bring to notice the fraud committed upon him by senior officials in the bank who misused their positions to facilitate the loan to Mr. Jagseer Singh and also to lodge a case of fraud and cheating against them. Tele-Law helped Mr. Harbans Singh to fight his own battle. Mr. Harbans has filed a written complaint to RBI Authorities, Zonal Head, SBI and District Manger SBI, Moga. He has also approached the Smalsar, Police station, for lodging an FIR against all alleged culprits.



Tele-Law helped Mr. Singh Singh to fight his own battle and Mr. Harbanshas filed a written compliant to RBI Authorities, Zonal Head, SBI and District Manger SBI, Moga. **Ms.** Komal Devi* is a college student and is a resident of a village in Moga district in the State of Punjab. One day on her way she was stalked by an unknown person. Suddenly, she started receiving lewd messages on her mobile. Finding herself in a vulnerable condition, Ms. Komal Devi approached the CSC center for consultation wherein VLE, Mr. Gagandeep Singh encouraged her to register her case with a Panel Lawyer.

Ms. Aksh Basra was appointed her lawyer who explained the necessity of reporting such cases of stalking to the nearby police station. The Lawyer asked her to lodge an FIR, otherwise such cases might become serious and may also endanger her life.

Ms. Komal Devi was pleased that Tele-Law made her vigilant and not waste her time in guessing or undertaking any psychological trauma, especially in matters related to stalking.



Ms. Komal Devi was pleased that Tele-Law made her vigilant and not waste her time in guessing or undertaking any psychological trauma, especially in matters related to stalking.

Mr. Akhilesh Kumar, a resident of Badi Bhaisadira village in Kathihar district in Bihar, was attacked by acid in 2018 by his own cousin. However till date he has not received compensation from the District Administration. Mr. Kumar is a VLE himself and he decided to register his case for consultation with a Panel Lawyer. Ms. Shilpi Keshari was appointed his laywer who advised him to register an application in District Legal Services Authority or before the District Magistrate.

Following the Lawyer's advice, it is learnt that Mr. Kumar has submitted an application to the DM office. Mr. Kumar is also self-motivated and enthusiastic to provide the benefits of Tele-Law scheme to the villagers.



Following the lawyer's advice, it is learnt that Mr. Kumar has submitted an application to the DM office. Mr. Kumar is also self-motivated and enthusiastic to provide the benefits of Tele-Law scheme

to the villagers.

Mr. Pradeep resides in Sundh village in the Mewat district of the State of Haryana. In order to get a job of a ward boy in a hospital in Nuh, Mr. Pradeep was dishonestly induced to pay Rs 50,000/- to another person. However, Mr. Pradeep has not been appointed as a ward boy and the other person is neither attending his calls nor responding to his messages. Mr. Pradeep's case was registered for legal consultation under Tele-Law by VLE, Mr. Vikram.

Ms. Aksh Basra was appointed his lawyer who asked him to lodge an FIR as it was sheer case of cheating where in the other person has shown false faith, mistrust and has undue influence on Mr. Pradeep.

Mr. Pradeep informed that he would follow the advice received under Tele-Law in bringing to book such fraudulent persons who cheat innocent people by making false promises.



Mr. Pradeep informed that he would follow the advice received under Tele-Law in bringing to book such fraudulent persons who cheat innocent people by making false promises.

OVERCOMING PROCEDURAL HURDLES



Mr. Devilal Mahto, a resident of Beko (w) village in Giridih district of Jharkhand has been working in Oman for 3 years under a Contractor from Kerala. Even after the completion of his work, the Contractor did not pay his salary for 6 months and ran away. Mr. Mahto and his friends faced many problems due to financial crisis in a foreign land. Mr. Mahto did not even have sufficient money for his ticket to come back to India. On receiving financial support from his Parents, Mr. Mahto came back to India. Aggrieved Mr. Mahto decided to file a case against his Contractor for which he sought advice.

Mr. Mahto came to know about the scheme through VLE, Mr. Ramesh Kumar who asked him to seek advice from a Panel Lawyer under Tele-Law.

Mr. Gaurav Kumar Sinha, the appointed lawyer in his case advised him to file a complaint in the Ministry of Foreign Affairs and to seek cancellation of Company Contractor's Visa and to make demand for the payment of his salary along with interest. He was asked to send one copy of the complaint to the PM Office and one to the office of Chief Secretary of the State.

Tele-Law helped Mr. Mahto understand the process for filing his complaint. Mr. Mahto informed that he will also consult his family members before moving forward.



Tele-Law helped Mr. Mahto understand the process of filing his complaint which he was not aware of. Mr. Mahto informed that he will also consult his family members before moving forward.

Ms. Madhuri Ravindra Patil, a resident of Talwade Bk in Nandurbar district in the State of Maharashtra, was engaged as a contractual employee in a company for 2 years. In addition to the deduction from the salary, the company also contributed in the payment towards Provident Fund (PF). When her contract period got over, the Company did not disclose her PF number nor released her PF amount. In order to avail the money under her PF, VLE Mr. Jayesh Shamrao Patil explained to Ms. Patil about the benefits of seeking legal advice under Tele-Law.

On registration of her case, Ms. Priti R. Mahajan was appointed as her lawyer. Ms. Patil was advised that the Company registered with the Employment Provident Fund Organization (EPFO) has an obligation to pay contributions towards EPFO accounts and Ms. Patil has a right to claim it. It was explained that for availing any service or withdrawal of payment under the PF, Ms. Patil should get her Unique Account Number (UAN) activated from the Employer. Every company creates a new EPF member ID to put EPF contributions of an employee. The UAN helps in merging all EPF accounts, even if the employee changes any job in future. In case of any wrongful denial to the employee of his/her PF or delay in payment of PF, Ms. Patil was told to lodge an FIR against the Manager and the company.

On being explained about the procedure of availing EPF accounts Ms. Patil decided to contact the Manager of the Company along with her offer letter and other joining documents and to ask about her PF ID, not as a favour from the employer, but as her right.



Ms. Patil took help of Tele-Law and got empowered about her rights.

Ms. Ushabai Nana Bhil resides in Talwade Bk village in Nandurbar district in the State of Maharashtra. She had purchased a TV on EMI which she had been regularly paying. Ms. Bhil was shocked to receive hoax/ unwarranted calls asking her to pay the penalty amount on her EMI. As she has never defaulted in her EMI payment, she felt harassed on receiving such unsolicited calls. Ms. Ushabai came to know about Tele-Law through Mr. Jayesh Shamrao Patil a VLE, who runs a CSC in her village.

On registration of her case, Ms. Priti R Mahajan was appointed her lawyer who advised Ms. Bhil to first collect the updated Statement of Account from the bank that reflects her monthly EMI payments. She was then asked to meet the Company Manager or person responsible for handling EMI with all necessary details to clarify any doubt related to payments. Ms. Bhil was told that she can also lodge an FIR against the Company and the number from which she was getting such unsolicited calls.

Tele-Law made Ms. Bhil feel at ease and equipped her with all the case specific information that she would require to fight this nuisance.



Tele-Law made Ms. Bhil feel at ease and equipped her with all case specific information that she would require to fight for her rights.

Mr. Jamshed Ali resides with his father in Nijampur village in Nuh Block of Mewat district in Haryana. Unfortunately, Mr. Ali lost his father due to injuries sustained when he touched an electric pole. Depressed and heartbroken, Mr. Ali was keen to know the required legal action that he could take against the Electricity board and the Authorities or Officials regarding the same. Mr. Ali came to know about Tele-Law Scheme from one of his relative (uncle) who also helped him in registering the case at the CSC. VLE, Mr. Juned Ahmed registered his matter for advice from the lawyer.

Ms. Aksh Basra was appointed his Panel Lawyer who advised Mr. Ali that in matters related to death due to electrocution, it is necessary first to establish that the cause of death is due to electrocution and the said death was caused due to the negligence on the part of Electrical Department. It is only after that, Mr. Ali entitlement for compensation would be considered. He was asked to write an application and submit it to the Chief Executive Engineer and District Court, attaching all details of FIR, panchnama report from the police department, death certificate, Legal Heir Certificate from Tehsildar, spot photo, sketching showing the location etc.

Taking note of the advice Mr. Ali has filed an application to Chief Executive Engineer and District Court along with the required documents. Mr. Ali is pleased that in such trying times, Tele-Law provided him with the correct legal knowledge to move ahead in overcoming any procedural challenge in claiming compensation.



Mr. Ali is pleased that in such trying times, Tele-Law provided him with the correct legal knowledge to move ahead in overcoming any procedural challenge in claiming compensation.

Ms. Rita Devi resides in Banni village of Khagaria district in the State of Bihar. As she belongs to Below Poverty Line (BPL) category She is eligible for income support under Pradhan Mantri Kissan Samman Nidhi Yojna (PM- Kisan Scheme). However even after submitting the required documents her request has been repeatedly denied. Unable to receive any benefit under the Scheme, Ms. Devi discussed her issue with Para Legal Volunteer Mr. Rajiv Kumar and with support from VLE, Mr. Prince Kumar got her case was registered for legal advice under Tele-Law.

Ms. Punam Chaturvedi, her appointed lawyer, advised Ms. Devi to carry all her relevant documents along with the bank passbook to Gramin Bank and state her problem to the Manager in detail.

Paying heed to the advice Ms. Devi visited the bank along with her husband and discussed all the details with Bank Manager. The Bank Manager updated the details and forwarded it. After 2 days, Ms. Devi details was accepted on the PM Kissan Samman Portal and fund transfer order was generated. It has been informed that Ms. Devi has received the instalment in her bank account.

Ms. Devi feels grateful to Tele-Law advice available in villages by which woman like her, through their own efforts, can overcome any technical hurdle in order to enjoy the benefits under any scheme.



Ms. Devi feels grateful to Tele-Law advice available in villages by which woman like her through their own effort can overcome any technical hurdle in order to enjoy the benefits under any scheme. **Mohd.** Rafique resides in Jalika village of Mewat district in the State of Haryana. Mohd. Rafique applied under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme (PM-Kisan Scheme) but did not receive the amount under the scheme, i.e. Rs. 6000/-. Unaware about the procedure to track the status of his application, Mohd. Rafique discussed his problem with one of his friend. Fortunately, his friend who happened to work in CSC center in his village told him about the Tele-Law Scheme and with the help of VLE, Mr. Sabir Hussain got his case registered for legal advice. Mr. Vikash Kumar was appointed his lawyer who guided him and assisted him in writing an application for its submission in the Tehsil and the SDM office.

As advised, Mohd. Rafique approached the Tehsil and SDM office wherein he explained his problem to the authorities. His application was tracked on the PM-Kisan Samman Nidhi portal. It was found that due to incorrect Account details he did not receive the amount. The error has been corrected. Mohd. Rafique is satisfied with the legal assistance received under Tele-Law



Mohd. Rafique is satisfied with the legal assistance received under Tele-Law

Ms. Veerpal Kaur who is an Anganwadi worker and a widow resides in Arif Ke village of Ferozepur district in the State of Punjab. She wanted to know whether a person is eligible for two pensions from different Government Departments. She was informed about Tele-Law scheme by VLE, Mr. Harpreet Singh, who advised her to consult and seek advice from a Panel Lawyer. Ms. Aksh Basra was appointed her lawyer.

Ms. Aksh Basra advised that a person can avail pension benefits from different Departments. Ms. Kaur was relaxed on receiving such a swift advice.



Ms. Kaur was advised that the person can avail pension benefits from different Departments. Ms. Kaur was relaxed on receiving such a swift advice.

Mr. Sabir faced the problem of unemployment during the lockdown. He resides in Jalika village in the district of Mewat, Haryana. He wanted to know the procedure for registering oneself under the MGNREGA scheme and the process of availing the MGNERGA job card. Mr. Sabir came to know about Tele-Law Scheme from one of his friends, who is currently working with the CSC center in his village and who also helped him in registering his complaint.

Mr. Vikash Kumar was appointed as a lawyer to his case. Mr. Sabir was explained that he can submit his application for registration under MGNERGA on plain paper or avail the form at a local panchayat. The Registration is open throughout the year. Form is also available online and free of cost on the MGNERGA website. Along with the application, following documents are required to be affixed that include photograph of the Applicant, Ration card, Voter ID Card, Aadhaar/ PAN card. On submission of the necessary documents along with the completed form Mr. Sabir would be provided with the job card within 15 days of submission.

Mr. Sabir is thankful to Tele-Law for guiding him with step by step procedure and information in applying for the MGNREGA job card



Mr. Sabir is thankful to Tele-Law for facilitating him with step by step procedure and information in applying for the MGNREGA job card

Mr. Guikiaba Briamtak is a MGNREGA Job card holder who resides in Kabuikhullen Authority of Tamenglong district in the State of Manipur. Under the MGNERGA Scheme in the financial year of 2018-2019, Mr. Briamtak received the amount but in financial year 2019-2020 he did not receive any amount for which he had complained multiple times to the Chairman of the Kabuikhullen Village. Juggling in this bureaucratic hurdle he wants to know the reason for non-payment and the appropriate authority to approach for this redressal.

Mr. Briamtak is himself a VLE and being aware about the scheme he got himself registered under the scheme to which Mr. Wahengbam Niranjit Singh was appointed as the Panel Lawyer. He was advised to contact the toll free number 1800-345-3872 launched by the Government of Manipur to assist grievances or complaints regarding implementation of schemes under the Rural Development and Panchayati Raj Department.

On learning about the toll free number Mr. Briamtak lodged his compliant. It was told that the officials would contact him after looking into his complaint.



On learning about the toll free number Mr. Briamtak lodged his compliant. It was told that the officials would contact him after looking into his complaint.

Mr. Ashwini Kant belongs to Below Poverty Line (BPL) category who resides with his wife in Kaudihar village in the Prayagraj district of Uttar Pradesh. Mr. Kant's wife received the benefit of gas connection under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY). She availed this facility and received gas refill many times but after few months her gas connection account got deactivated and was not able to avail any subsidy under the Scheme. On behalf of her wife, Mr. Kant wanted to know the process to resume this facility.

On his visit to CSC, the VLE, Mr. Puneet Tripathi, asked Mr. Kant to consult a Panel Lawyer under the Tele–Law Scheme. Mr. Vikash Kumar was appointed as his Panel Lawyer who assisted Mr. Kant in lodging an online complain at the PMUY portal (pmujjwalayojana. com). He was also advised to call at the toll free number and also to submit complaint copy to SDM also.

Following the online lodging of complaint at the Bharat Gas and PMUY portal regarding his issue, Mr. Kant also submitted a complaint copy in the SDM Office. It has been learnt that Mr. Kant gas connection has since been activated and he is getting subsidy under PMUY.



Mr. Kant gas connection has since been activated and he is getting subsidy under PMUY and is thankful to Tele-Law service.

Mr. Sajith resides with his father in Nenmeni village of Wayanad district of State of Kerala. Mr. Sajith's father had availed a loan from State Bank of India. However, before the said loan could be closed Mr. Sajith's father passed away. Mr. Sajith's father had mortgaged three properties in three different survey numbers and three title deeds with the Bank. After the death of his father, Mr. Sajith cleared the loan transaction with the Bank. Accordingly, the documents related to the loan were supposed to be returned by the Bank. However, the Bank returned only 2/3 documents. Inspite of repeated demands and enquiries, the Bank authorities failed to return the said title deed even after a period of one year. Tired, Mr. Sajith wanted to consult for a legal remedy who came to know about the Tele-Law Scheme through VLE, Siddique A.K.


On registration of his case under Tele-Law Scheme Mr. Chhithra Lala was appointed his Panel Lawyer who advised Mr. Sajith that he can file a written complaint with proper acknowledgment before the Branch Manager or Regional Manager of the Bank stating his grievance. If there is no positive reply from them within a reasonable time, then he can approach the Banking Ombudsman for redressal of his grievance.

Mr. Sajith was satisfied with the Tele-Law advice that guided him about the necessary steps to be taken for immediate rederssal of his grievance from the Bank Authorities.



Mr. Sajith was satisfied with the Tele-Law advice that guided him about the necessary steps to be taken for immediate rederssal of his grievance from the Bank Authorities.

RELIEF TO THE COVID DISTRESSED



Mr. Shamsudeen resident of Nenmeni village drives an auto rickshaw in the Wayanad district of State of Kerala. Unfortunately, in 2012 his vehicle met with an accident at Muthuvila, near Thiruvananthapuram. A criminal case was lodged against him by the Police authorities. On issuance of summons, he appeared before the Court. However, he was granted bail by the Judicial First Class Magistrate on guarantee of regularly attending the Court proceedings. While Mr. Shamsudeen continued to attend the Court on the scheduled dates for hearing during nation-wide lockdown, he was unable to travel from Wayanad to Trivandrum (nearly 450 kilometres) to attend the Court proceedings. Anxious, Mr. Shamsudeen wanted to know if any adverse order would be passed by the Court during this period due to his non-appearance in the Court.

Mr. Shamsudeen was restless but soon came across about Tele-Law during an awareness session conducted by Para Legal Volunteer, Jaseena who took him to the CSC of Siddique AK and got his case registered for advice through a Panel Lawyer. Mr. Chhithra Lala was appointed his lawyer, who advised him that as per the orders from the Hon'ble Supreme Court no adverse order could be passed by any of the Courts in the country against the parties for non-appearance during the prevailing pandemic situation.

Mr. Shamsudeen was relaxed and thankful to Tele-Law for providing him necessary with legal guidance and helped him in knowing his legal rights during lockdown.




Mr. Shamsudeen was relaxed and thankful to Tele-Law for providing him with necessary legal guidance and helped him in knowing his legal rights during lockdown.

Ms. Subaida resides in Vaduvanchal village in Wayanad district in the State of Kerala. In 2016, She had availed loan of Rs. 3, 50,000/- for the purchase of a vehicle from M/s. Cholamandalam Finance (a private finance company). However, due to the outbreak of COVID-19 Pandemic, she was unable to pay her April month installment. Unaware about the financial implications arising due to non-payment of EMI during pandemic, Ms. Subaida wanted to know whether she is eligible for the moratorium as declared by the RBI.

Ms. Subaida came across Tele-Law during an awareness session conducted by Para-Legal Volunteer, Jaseena who took her to the CSC of Siddique AK and got her case registered for advice through a Panel Lawyer. Mr. Chhithra Lala was her appointed lawyer. On analysing the details of the Company website she was informed that as per RBI guidelines, Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (Chola), would be offering up to 3 months moratorium on Chola Loans from 1st March, 2020 till 31st, May, 2020. This moratorium will mean that the repayment schedule for such loans will be shifted by three months.

On receipt of the desired information, Ms. Subiada fets relaxed and informed that she would apply for loan moratorium online.



Mr. Subin Babu lives in Pulpally village in the Wayanad district in Kerala. Surprisingly, in July, 2020 while riding on his two-wheeler he was booked by the Police on Patrol duty for not wearing a face mask. They noted his residential address and informed that he would receive summons to attend the Court. Concerned and frightened, Mr. Subin Babu wanted to know the legal consequences for not wearing a face mask.

Mr. Subin Babu came to know about the scheme through Para-Legal Volunteer, Mathew T.G who told him to visit the CSC of VLE, Mr. Subash P.R to get his case registered under Tele-Law. Mr. Chhithra Lala, his appointed lawyer explained him that as a major step to curb the spike in the corona virus infections, the Kerala State Government has made it mandatory for people to follow COVID-19 safety guidelines for a year that includes proper wearing of face mask in public places. Rs 10,000/- fine could be imposed by the police authorities for not wearing of masks in public places. The Panel lawyer further informed that Mr. Subin Babu will receive summons from the Judicial First Class Magistrate Court concerned as and when the Police Authorities could file a final charge sheet in the Court. After the receipt of Summons, Mr. Babu will have to pay the fine if he pleads guilty. But if he wishes to deny the charge against him he has the right to contest the case in the Court.

Mr. Babu found that the Tele-Law scheme made him understand the gravity of the matter and decided that he will sensitize everyone about the necessity of wearing a mask.




Mr. Babu found that the Tele-Law scheme made him understand the gravity of the matter and decided that he will sensitize everyone about the necessity of wearing a mask.

Due to COVID-19, **Ms. Swathi Reddy**, resident of Vavilala village in Warangal district of Telengana, suffered financial distress. On seeing a job advertisement for the position of "Data Entry" she contacted the person mentioned in the advertisement for applying to the job. The employer asked Ms. Swathi to pay Rs.1800/- amount for providing data. She paid the amount and completed the data entry work and submitted it to the employer. Thereafter, the employer stopped responding to her calls and messages. Ms. Swathi felt cheated and sought advice on proceeding in this matter.

Ms. Swathi was nervous and came to know about the scheme through VLE, Musku Sandeep who asked her to take the advice from a Panel lawyer under Tele Law service.

Ms. Chetana Udwala was the Panel Lawyer appointed to the case who advised her to lodge an FIR in Police Station and submit all relevant documents for e.g payment details, calling details, messages if any against the employer's activity.

Following the advice, Ms. Swathi has lodged an FIR and the officials informed her that they will resolve the payment issue soon. Ms. Swathi is thankful to Tele-Law to provide her with necessary courage to fight her case against a fraudulent person.



Md. Hasib runs a shop on rent in Islam Nagar village in the district of Udham Singh Nagar in Uttarakhand. He earns his daily earning from there. During COVID-19, he was unable to open his shop but the landlord insisted that he pay the rent for the shop. Worried about how to manage this financial crunch, Md. Hasib was told about the Tele-Law Scheme by Para-Legal Volunteer Deepak Kumar. Thereafter, VLE, Ms. Kavita Bawa registered his case for legal advice to which Ms. Shwetanjali Mishra was appointed his lawyer.

Md. Hasib was advised that the landlord cannot insist on him paying the rent forcefully or can cause his eviction, but he can mutually resolve the matter with the landlord by paying small instalments to him or request him for reducing the rent amount. He was also made aware of the guidelines of the Ministry of Home Affairs regarding rent waiver during the Panademic for a period of one month.

Following the advice of the Panel Lawyer, Md. Hasib requested the landlord to allow him to pay the amount in small instalments to which the landlord agreed.



Following the advice of the lawyer, Md. Hasib requested the landlord to allow him to pay the amount in small instalments to which the landlord agreed.

Mr. Pawan Gourh resident of Patadiya Dhakad village in Rajgarh district of Madhya Pradesh wanted to know about the necessary precautions and protective measures to be taken to prevent COVID-19. One of the relatives of Mr. Pawan told him about the Tele-Law Scheme. VLE, Brajmohan Carpenter helped him in registering his case for which Mr. Abhinav Manikpuri was appointed as his Panel Lawyer. Mr. Pawan was advised to protect himself and his family against COVID-19, by cleaning hands frequently and by not touching eyes and face frequently. He was advised to use alcohol-based hand sanitizer or wash hands with soap and water and to maintain social distancing, etc. He was cautioned to keep alcohol-based hand sanitizers out of children's reach.

Mr. Pawan was happy to know the various precautionary measures to be taken to prevent COVID-19. He is thankful to Tele-Law platform that is helping people in spreading awareness about the disease.



Mr. Pawan was happy to know the various precautionary measures to be taken to prevent COVID-19. He is thankful to Tele-Law platform that is helping people in spreading awareness about the disease.

RESOLUTION OF PROPERTY DISPUTES



CASE 1

Mr. Anadi Behera lives in Sarangada village of Odisha's Kandhamal district. Mr. Behera wanted to build his house on his agricultural land. However, the local Revenue Incharge (RI) denied permission for construction of his house on the land that was earmarked for agricultural purposes. Through the banner of Tele-Law at the CSC in his village Mr. Behera approached VLE, Manoranjan Bishoyi and registered his case to seek legal advice.

Mr. Amit Kumar Barick, the appointed Panel Lawyer, advised Mr. Behera that he needs to visit the local Tehsil office and submit an application for land conversion with all relevant legal documents. On verification of his documents by the Tehsildar or the Commissioner of the land it was found that there are no pending dues and litigation over it. He was thereafter asked to submit the conversion fee and follow the other procedural steps. In this way Mr. Behera's Agricultural land was converted for residential purposes.

Mr. Behra heeded the advice of the lawyer. Tele-Law enabled an ordinary man to fulfil his dream of building his own house.



Mr. Behera heeded the advice of the Panel Lawyer. Tele-Law enabled an ordinary man to fulfil his dream of building his own house. In Kotagarh village of Kandhamal district in Odisha, **Mr. Samual Nayak** resides with his brother on their parental property. Soon both the brothers entered into disagreement and over their share in parental property. Mr. Samual Nayak wanted to construct his own house on the ancestral property, but his elder brother denied him to do so. Mr. Nayak got to know about the Tele-Law Scheme from the VLE, Mr. Bighnaraj Nayak who also supported him to registered his case for legal advice.

Mr. Amit Kumar Barick, the appointed Panel Lawyer, advised that property can be divided among the legal heirs through mutual understanding and thereafter they can use their share in their property as per their preferences. He also explained that under Section 19C of Odisha Land Reforms Act, 1960 they can file a case of mutual partition of property in their local Tehsil office.

On following the lawyer's instructions, case for mutual partition was filed in Tehsil office. The Tehsildar sent notice to all (legal-heirs) and subsequently the land was divided equally among all legal heirs in their presence. Tele-Law thus played an important role in amicable resolution of disputes between two brothers and helped Mr. Nayak build his own house.



Tele-Law played an important role in amicable resolution of disputes between two brothers and helped Mr. Nayak build his own house.

Mr. Joginder Singh, 75 years old street hawker residing in Mahalam village of Ferozpur district in Punjab was denied the peaceful possession of his 50 square yard residential land by his brother. One day, Joginder's brother encroached his land when he was away. Abused and beaten badly by his own brother upon confronting him about the encroachment, he went ahead and filed an FIR against his brother. However, no action was taken by the Police.

The Displayed Tele-Law poster helped Mr. Joginder to seek legal advice from a Panel Lawyer. Sensing the gravity of the matter, Harpreet Singh, the VLE advised Mr. Joginder to consult and seek advice from the Panel Lawyer through "Instant Call" under the Tele-Law.

Ms. Aksh Basra, the appointed lawyer advised him that he should file a complaint in SSP office Ferozpur against the local Police for their neglectful behaviour and delay in taking action in the concerned matter. He was also advised to seek help from District Legal Services Authority (DLSA), Ferozpur to file a civil suit to recover his encroached property. Following the Lawyer's advice, Mr. Joginder Singh reported the matter in the SSP Ferozpur office and also consulted DLSA advocate. This way, Tele-Law helped Mr. Joginder explore his options and decide the best course of action.



Tele-Law helped Mr. Joginder explore his options and decide the best course of action.

Mr. Sikendra Verma's father had eight siblings. His grandfather had some property in his home village of Giridih district, Jharkhand. He gave all the property to Mr. Verma's uncle (elder brother of his father) when he was only six years old. His uncle has partitioned the land among his siblings equally and the Gram Panchayat was privy to it. But now Mr. Sikendra's cousin (uncle's son), has been opposing this distribution and wanted to sell all the land. Mr. Verma came to know about the Tele-Law Scheme through VLE, Onkar Kumar Verma. He registered Mr. Verma's case and helped him to seek legal help to know the rightful way of seeking ownership of the land.

Mr. Gaurav Kumar Sinha, the appointed Panel Lawyer advised him that if Panchayat had done the equal distribution of land in front of some witnesses then his cousin cannot sell the other part of the land. But if his uncle's son does not agree to this and still sells the property/land forcefully, then it was advised to file a suit in the Court with copy of distribution papers attested by the Panchayat. Tele-Law gave him the confidence and hope to fight for justice.



Tele-Law gave Mr. Verma the confidence and hope to fight for justice.

Mr. Fuzail Ahmed Barbhuiya's grandfather who was a resident of Hailakandi in Assam had 3 sons and a daughter. On the demise of his grandfather, Mr. Fuzail's father, (one) uncle along with the aunt took possession of the land but they did not register their name in the land record as "Coparcener". Meanwhile Fuzail's other uncle applied for land mutation in his name only. Based on this, in jamabandi and draft chitha copy his uncle's name has got recorded. After the death of the uncle, his children denied the ownership of Mr. Fuzail as well as the other legal heirs. Disappointed, Mr. Fuzail filed a civil suit for revocation of Succession Certificate due to wrongful concealment of the fact. However not able to know the clear status in his case, he sought advice to proceed in this matter.

During the awareness session organized by the VLE, Badrul Huda Choudhury telephonically, he got to know about Tele-Law.

The Panel Lawyer, Mr. Abhijit Deka, advised him that as the court would require documentary evidence he should collect the death certificate of his deceased father and thereafter apply for legal heir certificate in the District Collector Office. This documentary evidence along with some authentic witnesses before the Court would help him establish the possession and relationship with his father and grandfather. He was also explained that in Court he could explain and establish that due to the lack of procedural knowledge they failed to apply for mutation on time. Moreover they firmly believed their family would mutually understand and amicably settle all matter. He failed to realize that one of his uncles would apply for mutation concealing the fact that there is no other legal heir.



More vigilant than ever, Mr. Fuzail applied for the certified copy of the last order and other relevant orders of the Court, so that he can seek advice again using Tele-Law.

CASE 5

Therefore, Mr. Fuzail did not get any notice from the concerned Circle Office. He was also advised to file or request for cancellation of the mutation due to concealing of the material facts. Mr. Fuzail was also asked to apply for certified copy of the last order of the case, so that he can come again to the Panel Lawyer for seeking further advice.

More vigilant than ever, Mr. Fuzail applied for the certified copy of the last order and other relevant orders of the Court, so that he can seek advice again using Tele-Law.

Mr. Mahesh Kumar Singh lives in Judwar, a very remote village of Singrauli district in Madhya Pradesh. The bone of contention between Mr. Singh and the owner of the adjacent land was that the latter had started to trespass Mr. Singh's agricultural land, due to lack of any concrete boundary. Mr. Singh got to know about Tele-Law through Mr. Ashok Kumar Yadav, the VLE working in his village.

He registered his case and Mr. Abhinav Manikpuri was appointed as a Panel Lawyer to look after his case. He advised Mr. Singh that he should write an application to the SDM regarding his issue and submit it to the local Tehsil with relevant ownership documents enclosed with it.

Following the Panel Lawyer's advice, Mr. Singh agreed to register a complaint in local Tehsil with a copy to SDM office.



Mr. Singh registered the complaint in local Tehsil with a copy to SDM office. They helped him resolved his conflict. Tele-Law service has guided him to live a stress free and peaceful life

Mr. Ghulam Mohd. Bhat has a shop in Awantipora block of Pulwama district in UT of Jammu & Kashmir. He had given his shop to the tenant, on lease for 7 years. Now when the period of lease got over, the tenant has refused to vacate the shop and continues to hold the shop under his control. He got to know about the Tele-Law Scheme through a Para-Legal Volunteer during his awareness session.

He registered his case and Ms. Suhaila Ali, the appointed Panel Lawyer advised him that the landlord cannot use wrongful means to evict the tenant. Mr. Bhat can serve him a legal notice to pay him the outstanding amount of rent along with the interest and a notice to evict the shop. If payment is not made despite service of the legal notice the Mr. Bhat could file a suit for eviction and also for recovery of the said amount.

Through Tele-Law service, Mr. Bhat got to know the legal way to resolve his problem.



Through Tele-Law service, Mr. Bhat got to know the legal way to resolve his problem.

Mr. Nazim had some property on a highway in Udham Singh Nagar in Uttrakhand. In the road expansion scheme, the Government encroached his property for road construction and gave him the compensation against his property. But after sometime, Mr. Nazim got a notice to return the compensation amount informing that the amount was wrongly transferred to him. Mr. Khemanand, a Para-Legal Volunteer working in the field got to know about his problem and advised him to register his case and seek legal help under Tele-Law.

Mr. Vijay Kumar Pandey, the Panel Lawyer explained him that the acquisition of land by the government for road projects is a national policy. In this regard even if the land owner may not be even willing to part way with his property, compensation is given to the land owner as a consideration for losing their property in development work. He was explained that if he is dissatisfied with the compensation or wants to get an appropriate compensation he can seek stay from Court based on this notice. He was also asked to file an RTI on this notice, to know the reasons for seeking return of the compensation amount.

Mr. Nazim has informed that he would file a case in the Court. Tele-Law gave him the confidence to fight for justice.



Mr. Nazim has informed that he would file a case in the Court. Tele-Law gave him the confidence to fight for justice.

Mr. Sunil Manohar Sahu lives with his family in Bandhagada village of Odisha's Kandhamal district. He had a dream of having his own house but the land he owned was not residential. Two years ago he had applied for changing the land use in Tehsil office, deposited requisite government fees and complied with all necessary processes. However, Mr. Sahu failed to receive the land Patta (Rights of Record). Waiting to fulfil his dream of making a good house for his family, he did not know the procedure to pursue his pending application and to expedite the receipt of land patta.

One day he got to know about Tele-Law through VLE, Mr. Suresh Kumar Sahu. He registered Mr. Sunil's case and Mr. Amit Kumar Barick, the appointed Panel Lawyer gave him the advice to file a written compliant to Tehsildar and forward a copy to the Collector stating that there has been inordinate delay in receiving his land Patta from the Tehsil office.

Following the Lawyer's advice, the Applicant wrote an application to the Tehsildar and the District Collector stating his problem. Thereafter, the Tehsildar ordered the head clerk of the Tehsil office to release the Patta immediately. After 15 days Mr. Sahu got his Patta (Rights of Record). Tele-Law effectively managed to get a family its own house.



After 15 days Mr. Sahu got his Patta (Rights of Record).
Tele-Law effectively managed to get a family its own house.

EMPOWERING WITH INFORMATION



Mrs. Muppidi Spandana is a resident of Palagara village in Vizianagaram district of Andhra Pradesh. Her father-in-law wanted to give her husband 15 acre of land. However, Mrs. Spandana's sister-in-law demanded extra share in the property, inspite of getting their share at the time of their marriage. She came to know about Tele-Law scheme through the awareness campaign. She contacted VLE, Mr. Marri Kumarswamy who registered her case to seek legal advice on property rights.

Ms. Chetana Udwala, the Panel Lawyer appointed for her case advised that since the land is not ancestral property and it has been purchased by Mrs. Spandana father-in-law, his daughter has no right to claim the same. The Panel Lawyer confirmed that property rights solely belong to her father-in-law only.

Mrs. Spandana is very thankful to Tele-Law service for empowering her about her property rights.



Mrs. Spandana is very thankful to Tele-Law service for empowering her about her property rights.

Mr. Rafeek resides in village Kalpetta of Wayanad district in Kerala with his family. Four years ago he gave 2.5 lakh rupees to an agent Chandrasekharan Pillai to get him a working visa in abroad. For that he transferred one lakh from his account and rest of the money, he gave him through cash. After four years when the agent was not able to arrange a visa for him and denied to pay his money back. Mr. Rafeek filed a suit for realization of money with Thamarassery Munsiff Court. He adduced all the evidence before the Court but the Hon'ble Munsiff's Court dismissed the suit.

Mr. Rafeek came to know about the Tele-Law Scheme through VLE, Mr. Jinson P.J. who helped him register his case. Mr. Chhithra Lala was appointed as his Panel Lawyer.

Mr. Chhithra Lala informed Mr. Rafeek that the decree and judgment of a case pronounced by the Munsiff's Court is based on the evidence presented before the Court. The reason for the dismissal of the suit will be in the details of its judgment. He can obtain a copy of the same by filing an application through his Counsel and analyze the verdict. If the judgement found unjust, he can file an appeal before the Appellate Court challenging the verdict of the Munsiff's Court.

Mr. Rafeek informed that he has applied for the copy of the judgement and is thankful to Tele- Law service that effectively cleared his doubts regarding his case.



Mr. Rafeek has applied for the copy of the judgement and is thankful to Tele- Law service that effectively cleared his doubts regarding his case.

Mr. Nandkishore Ahirwar is a Para-Legal Volunteer in Chhatarpur district of Madhya Pradesh. He was confused about the exact procedure of filing an FIR (First Information Report). He registered his case under Tele-Law Scheme to clear his doubts. Panel Lawyer Mr. Abhinav Manikpuri, described Mr. Nandkishore about the FIR and its procedure in simple words.

Mr. Abhinav, told him that one can file FIR or First Information Report at any police station and for doing that one does not necessarily have to be in the particular area where the crime has been committed. But, it is always better to visit the nearest police station as the FIR has to be filed immediately without any delay. He further explained to Mr. Nandkishore that one can lodge an FIR if one is a victim of a crime, if one has witnessed a crime or if one has information about the crime.

If the information about the crime is given orally, the police must write it down. This recorded information must be read over to the person who is filling the FIR. Once recorded it must be signed by the person giving the information and if the person cannot read or write, then the left thumb impression on the document may be affixed. It is right to get the copy of the FIR free of cost.

Later, the Panel Lawyer described the procedure to file a complaint in detail step by step and informed that it can be applied online and offline also. Mr. Nandkishore was thankful to Tele-Law service that the Panel Lawyer cleared his doubts and now he knows the correct information on FIR and its procedures.



Mr. Nandkishore was thankful to Tele-Law service that the Panel Lawyer cleared his doubts and now he knows the correct information on FIR and its procedures.

Mr. Laxman Kumar Dadsena is a Village Level Entrepreneur who runs his Common Service Centre in Mahasamund city in Chhattisgarh. Being unaware about the procedure for availing Good Service Tax (GST) allotment number, he registered himself under Tele-Law Scheme. Mr. Maheshwari Tandan was appointed his Panel Lawyer.

Mr. Maheshwari Tandan gave him a detailed explanation about the process of allotment of GST number or GSTIN. He mentioned that GSTIN is 15-digit Pan based Unique Identification Number allotted to every registered person under GST. It can be applied for online at the GST Portal. The main documents for GST registration include a PAN card, proof of business registration, proof of identity (photographs) and address proof of persons in-charge, the business' address proof and bank account statements. In the GST Regime, businesses whose turnover exceeds Rs. 20 lakhs* (Rs 10 lakhs for North -Eastern and hill states) is required to register as a normal taxable person. This process of registration is called GST registration.

For certain businesses, registration under GST is mandatory. If the organization carries on business without registering under GST, it will be an offence under GST and heavy penalties will apply.

Mr. Laxman Kumar Dadsena feels grateful and empowered on getting aware about the Good and Service Tax (GST) and feels that he can carry his business in a confident and legal way.



Mr. Laxman Kumar Dadsena feels grateful and empowered on getting aware about the Good and Service Tax (GST) and feels that he can carry his business in a confident and legal way.

Mr. Ankit Thakur is a Para Legal Volunteer who resides in village Binna of Chamba district in Himachal Pradesh. His case was already pending in the Court and he wanted to know the current status of his case. He registered under Tele-Law and tried to get the information from Panel Lawyer Ms. Aditi Bhardwaj. Ms. Bhardwaj advised him to consult his Advocate about the status of his case anytime. However, he can also download e-Court Mobile Application from Google Play Store in his phone and can access the information on his case status.

Mr. Thakur downloaded the e-Court Mobile App and got to know the status of his Court case. He is thankful to the Tele-Law scheme and was satisfied with the information provided.



Mr. Thakur downloaded the e-Court Mobile App and got to know the status of his Court case. He is thankful to the Tele- Law scheme and was satisfied with the information provided.

Ms. Kalpana is a resident of Pukri village in Chamba district in Himachal Pradesh. One day while driving her scooty she mistakenly violated a traffic rule. She received an e-challan from the Traffic Police officials on her mobile. Ms. Kalpana did not know about the procedure of filing it online. She got to know about the Tele-Law scheme through VLE, Mr. Devinder Kumar. Mr. Kumar registered her case to seek the information regarding e-challan filing.

Ms. Aditi Bhardwaj, the appointed, Panel Lawyer for her case, advised her that she can pay the e-Challan online/ offline, within 15 days from the date of issue of the notice. Traffic e-Challan Application can also be downloaded and is connected to the web based portal application called VAHAN or SAARTHI. The Applicant can visit the respective state transport department website. In case the Applicant wishes to opt for offline mode of payment than the Applicant can visit the nearest police station to her residence, along with the driving licence and the e-Challan notice, if received.

Ms. Kalpana is very thankful to Tele-Law, because of which she is able to pay the challan amount online within the prescribed time limit.



Ms. Kalpana is very thankful to Tele-Law, because of which she is able to pay the challan amount online within the prescribed time limit. **Ms. Yekiushe** worked as a labourer at Government construction site in Tsuwong ward of Kiphire district in Nagaland. Though her income was fixed by the Government, she felt that it was very nominal. During her work, she came across the term 'minimum wage' and she was informed that the government is entitled to pay a minimum amount to the labourers. Ms. Yekiushe wanted to know more about the Minimum Wage Policy. She came to know about the Tele-Law Scheme through Mr. Asangthong K., the VLE in her village. He registered her case under the scheme so that she can get proper information regarding Minimum Wages.

Ms. Niksungla, the Panel Lawyer appointed first explained her about the Minimum Wages Act, 1948 and informed that every State Government fixes the amount based on the Act. As per the latest State Government Notification, the minimum wages fixed include ₹ 176/-(Unskilled), ₹ 210/-(Semi-Skilled) and ₹ 235/-(Skilled). Hence, in a month, Unskilled employees can earn (₹5280/-) Semi-skilled (₹6300/-) and Skilled (₹7050/-). Ms. Niksungla advised Ms. Yekiushe to ascertain under which category she is eligible and then if she is not receiving the wage as mentioned she can submit a complaint in the Labour Office.

Thanks to the Tele-Law Service, Ms. Yekiushe got free legal advice without any hassle and she can also demand the fair amount for her labour in future.



Mr. Rajendra lives in Charbatha village of Mahasamund district in Chhattisgarh. He filed an application for "Individual Household Latrine (IHHL)" but did not receive any response. He wanted to expedite the construction of the latrine under "Individual Household Latrine (IHHL)" and to track his application. He got to know about the Tele-Law Scheme through VLE, Mr. Shivkumar Patel. He advised Mr. Rajendra to register his case under the scheme so that he can get proper information by a professional lawyer.

Mr. Abhinav Manikpuri his appointed Panel lawyer explained the process to track application status of the Individual Household Latrine (IHHL) Application. Mr. Rajendra could check the status history of his application through clicking the "Status" menu on 'IHHL Application'. The portal showed all details filed in/through by Applicant Login ID. Thereafter, Mr. Rajendra may check the name in the list. Mr. Rajendra also search for an application by entering Application ID or his name and then clicking on 'Search' button.

Because of the Tele-Law Scheme Mr. Rajendra, got to know the process to track the "Individual Household Latrine (IHHL)" Application from the IHHL website.




Because of the Tele-Law Scheme Mr. Rajendra, got to know the process to track the Individual Household Latrine (IHHL) Application from the IHHL website. Mrs. Hemwanti Devi lives in a kuccha house with her family in Padsaura Dera village in Bhojpur district of Bihar. From her neighbours she came to know about Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana (PMGAY) in which one can get some fund for the construction of Pucca house. As she belongs to BPL category, she wanted to avail benefits under PMGAY scheme. She came to know about Tele-Law Scheme through an awareness programme organized by PLV, Mr. Hari Narayan Singh. She registered her case because she wanted to know the procedure to apply for Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana (PMGAY).

The Panel Lawyer Mr. Ajay Kr. Mishra advised her to submit an application for Indira Awas Yojna along with relevant documents including Aadhaar card, bank passbook, BPL card, land documents, income certificate etc. in Block Development Office (BDO). The Applicant must not have applied earlier for the scheme. After scrutiny of documents if the Applicant is found eligible then loan may be sanctioned in accordance with the income slab.



Mrs. Devi is grateful to the Tele-Law service because of which now she has her own pucca house and could avail the benefits of Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana (PMGAY).

Tele-Law: Steps to Legal Advice





DoJ acknowledges the support and assistance of its Partners in facilitating Tele-Law reaching the unreached.



National Legal Services Authorities



CSC e-Governance Services India Limited

Disclaimer

*The names of the beneficiaries have been changed to maintain confidentiality.

The testimonials published are based on data collected and verified by CSC e-Governance Services India Limited.

© 2021 Department of Justice. All Rights Reserved

टेली-लॉ वंचित लोगों तक पहुँच

TELE-LAW

Reaching the Unreached

लाभार्थियों की आवाज

Voices of the beneficiaries



टेली-लॉ अब कानूनी सलाह पाना हुआ आसान







रविशंकर प्रसाद RAVI SHANKAR PRASAD



मंत्री
विधि एवं न्याय, संचार
एवं
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी
भारत सरकार
MINISTER OF
LAW & JUSTICE, COMMUNICATIONS
and
ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY
GOVERNMENT OF INDIA

Foreword

'To wipe every tear from every eye' was one of the paramount concerns before Mahatma Gandhi. This message resonates in full degree in Tele-Law Programme of the Government, as a robust platform for mainstreaming legal aid to the marginalized community, especially at the pre-litigation stage. Launched originally in 2017, the programme aims at legally empowering the citizens through the use of technology. That more than 6.70 lakh beneficiaries received pre-litigation advice under Tele-Law is in itself an impressive feat. What is yet more remarkable is that the YoY growth trajectory has surpassed the 300% mark.

I am delighted that the second edition of the booklet, "Tele-Law – Voices of the Beneficiaries" is being released on 12 March 2021, coinciding with the beginning of the "Bharat Ka Amrut Mahotsava". This landmark Mahotsava is an apt occasion for all of us to reaffirm our commitment towards "Justice for All" and render justice delivery as a citizen-centric service. I see the booklet as a tribute to the Mahatma, who believed in the principle of "unto the last".

I am confident that Tele Law will continue to expand its footprints and effectively contribute in the process of inclusive governance being vigorously pursued by the Narendra Modi Government.

[Ravi Shankar Prasad]

Room No. 402, 'A' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001. Phone: 23387557, 23386976, 23386974, FAX: 23384241

विषय सूची

1	पारिवारिक मामले	.3
2	सूचना से सशक्तिकरण	.13
3	अन्याय से लड़ना	.24
4	प्रक्रियागत कठिनाइयों को दूर करना	36
5	कोविड विपत्ति से राहत	.43
6	संपत्ति विवाद का समाधान	.54

पारिवारिक मामल



सुश्री सीता रानी* अपने 2 बच्चों के साथ तिमलनाडु के रामनाथपुरम के एक गाँव में रह रही थीं । उनके पित उनसे नियमित रूप से लड़ाई और मारपीट करते थे। पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि उनके पित के किसी अन्य मिहला के साथ अवैध संबंध थे। उन्हें इस संबंध में सलाह की आवश्यकता थी। उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में लगे बैनर के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला। उन्होंने वीएलई श्री सरन्या से संपर्क किया जिन्होंने उनका मामला दर्ज किया।

उन्हें मामले के लिए नियुक्त पैनल वकील श्री बाला कुमार ने सलाह दी कि वह महज सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास न करे और अपने पति पर किसी अन्य महिला के साथ इस तरह के अवैध संबंध होने के संबंध में शंका न रखे।


कोर्ट जाने से पहले उन्हें स्पष्ट रूप से यह स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए कि उनके पित का अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य के साथ संबंध हैं और इससे उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है। टेली-लॉ ने सुश्री सीता रानी की शंका दूर करने में मदद की और स्पष्ट किया कि वे पारिवारिक मामले में अधीरता से और जल्दबाज़ी में काम न लें।



टेली-लॉ ने सुश्री सीता रानी की शंका दूर करने में मदद की और स्पष्ट किया कि वे पारिवारिक मामले में अधीरता से और जल्दबाज़ी में काम न लें। श्री विश्वनाथ वर्मा ने अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश में अपने गाँव गुमड़ी, बलरामपुर जिले में रह रहे थे। जैसे-जैसे समय बीतता गया बहुत छोटी-छोटी बातों पर उनके अपनी पत्नी के साथ घरेलू झगड़े होने लगे, जिसने उनके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। इस डर से कि उनका वैवाहिक जीवन टूट न जाऐ, उन्होंने वीएलई से संपर्क किया। श्री संदीप कुमार, वीएलई ने उन्हें अपना मामला दर्ज करने के लिए टेली-लॉ योजना के तहत पैनल वकील के साथ परामर्श करने की सलाह दी।

सुश्री प्रीति गुप्ता, पैनल वकील ने श्री वर्मा को सलाह दी कि विवाहित जीवन में घिस-पिस और सामान्य झगड़े पित-पत्नी को एक दूसरे के खिलाफ कानूनी रूप से तलाक लेने का हक नही देते। पहले मतभेदों को सौहार्द्रपूर्वक और आपसी बात-चीत से या बड़े बुजर्गों के परामर्श से या प्रशिक्षित सलाहकार या फिर ग्राम पंचायत की सहायता से सुलझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन, अगर फिर भी समस्या बनी रहती है और यह आगे बढ़ती है तो वे अदालत में मामला दर्ज कर सकते हैं। यह जानकारी दी गई कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत, इस अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत तलाक केवल निर्धारित शर्तों पर किया जा सकता है, जिसमें क्रूरता, परित्याग आदि शामिल हैं।

अपनी शादी को बचाने के लिए हढ़ संकल्पित श्री वर्मा ने दी गई सलाह का पालन किया और उन्होंने अपनी पत्नी से बात की। दोनों ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और वचन दिया कि वे अपने परिवार की समस्याओं का सामंजस्यपूर्ण ढंग से समाधान करने की कोशिश करेंगे और छोटे मोटे मुद्दों को नजर-अंदाज करने की कोशिश करेंगे तािक वे एक साथ खुशी से रह सकें। वे टेली-लॉ के बहुत शुक्रगुजार थे कि इनसे उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में सामंजस्य लाने में मदद मिली।



श्री विकास मंडल* अपनी पत्नी के साथ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के एक गाँव में रह रहे थे। पति-पत्नी दोनों के बीच पहले से ही वैवाहिक संबंध तनावपूर्ण थे। दहेज उत्पीड़न और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुऐ, श्रीमती मंडल ने श्री विकास मंडल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। श्री मंडल और उनके परिवार के सदस्यों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498क, 406 के तहत आरोप लगाया। वे बहुत ही तनावग्रस्थ थे, वीएलई श्री प्रोसेनजित मोंडल ने उन्हें कानूनी सलाह के लिए अपना मामला दर्ज करवाने के लिए कहा।

श्री अमिताब चक्रवर्ती को उनके मामले के लिए पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने मामले का विश्लेषण किया और उन्हें सलाह दी कि जांच के दौरान यदि प्राथमिकी/शिकायत में लगाऐ गए आरोप झूठे पाऐ जाते हैं, तो जांच एजेंसियों द्वारा आरोप तय नहीं किए जाएंगे। न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत झूठी प्राथमिकी को भी रह् किया जा सकता है। हालांकि, पुलिस हिरासत से बचने के लिए श्री मंडल ने एक वकील की कानूनी सहायता के संबंधित जिला अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया। टेली-लॉ सेवा के माध्यम से श्री मंडल को मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करने और कथित नकली दहेज के मामले से लड़ने का साहस प्राप्त हुआ।



टेली-लॉ सेवा के माध्यम से श्री मंडल को मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करने और कथित नकली दहेज के मामले से लड़ने का साहस प्राप्त हुआ। श्री अमन कुमार के दोस्त ने एक लड़की से उसके माता-पिता की मर्जी के विरुद्ध शादी की। लड़की को न तो उसके ससुराल वालों ने स्वीकार किया और न ही उनके माता-पिता के घर में आने दिया गया। लड़की अपनी मौसी के घर गई। लड़के के माता-पिता द्वारा लड़की को छोड़ने के लिए लड़के पर अनुचित दबाव डाला गया था। श्री कुमार को पीएलवी श्री प्रवीण कुमार रविदास जो उनके मित्र थे, के माध्यम से कटिहार जिले के समेली गाँव में चल रही टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला। उन्होंने उसे कानूनी सलाह लेने के लिए कहा।

सुश्री पूरम चतुर्वेदी को उनका वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने श्री कुमार को ग्राम पंचायत के समक्ष एक सौहार्दपूर्ण समाधान और मध्यस्थता के लिए मामले को सामने लाने की सलाह दी। यदि समस्या फिर भी बनी रहती है तो सलाह दी गई कि न्यायालय में एक याचिका दायर की जाऐ जिसमें सलाह के लिए दोनों परिवारों को नोटिस दिया जाएगा। श्री कुमार इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार थे कि टेली-लॉ के माध्यम से वह गोपनीय और कानूनी रूप से ऐसे निजी मुद्दे पर आसानी से परामर्श कर सके। वह इस जानकारी को अपने मित्र को साझा करके खुश थे।



श्री कुमार इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार थे कि टेली-लॉ के माध्यम से वह गोपनीय और कानूनी रूप से ऐसे निजी मुद्दे पर आसानी से परामर्श कर सके। वह इस जानकारी को अपने मिल को साझा करके खुश थे। श्री रिव कुमार* एक दिव्यांग व्यक्ति थे जो हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के बखतपुर गाँव में अपनी पत्नी के साथ रहता थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें बिना किसी कारण के छोड़ दिया वह अपने माता-पिता के साथ रहने लगी और उनके घर वापस आने से इंकार कर दिया। उन्होंने उनके विरूद्ध घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी। श्री कुमार ने अपने को अपमानित और प्रताड़ित महसूस किया क्योंकि उनका आरोप था कि उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार हैं और उनकी शारीरिक विकलांगता का तथ्य उनकी पत्नी को उनकी शादी से पहले ही पता था।

वीएलई श्री दीपक कुमार ने उन्हें टेली-लॉ स्कीम के बारे में बताया और उन्हें कानूनी सलाह लेने की सलाह दी। पैनल वकील सुश्री अदिति भारद्वाज ने श्री कुमार को सलाह दी कि यदि उनकी पत्नी अपने वैवाहिक दायित्वों से बिना किसी उचित कारण के मुकर जाती है, तो हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत एक याचिका दायर की जाएगी, जो उन्हें अदालत से आदेश लेने का अधिकार देगी, जिसमें उनकी पत्नी को उनके पास वापिस आने और वैवाहिक संबंध बनाने के लिए कहा जाएगा। इसे दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन (अप्लीकेशन फॉर रेस्टीट्यूशन ऑफ कनजुगल राइट्स) कहा जाता है। यदि उनकी पत्नी धारा 9 के तहत अदालत के आदेश का पालन करने से इनकार करती है, तो उनको परित्याग और क्रूरता के आधार पर तलाक लेने का हक होगा।

उचित कानूनी सलाह लेने से संतुष्ट श्री कुमार ने अपनी पत्नी को कानूनी नोटिस भेजा है और वे मार्गदर्शन हेतु टेली-लॉ योजना के आभारी है।



उचित कानूनी सलाह लेने से संतुष्ट श्री कुमार ने अपनी पत्नी को कानूनी नोटिस भेजा है और वे मार्गदर्शन हेतु टेली-लॉ योजना के आभारी हैं। बिहार के गया जिले के गाँव हेमरा की निवासी **सुश्री रूपा कुमारी** अपनी बहन के वैवाहिक जीवन के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थी। उनकी बहन का पित उसके गाँव की एक लड़की के साथ भाग गया। दुखी होकर उनकी बहन तलाक दाखिल करना चाहती थी। आवेदिका ने जो स्वयं एक पीएलवी है, पैनल वकील से सलाह के लिए अपना मामला दर्ज किया।

श्री संजीव वर्मा को उनके मामले में पैनल वकील नियुक्त किया गया था। उन्होंने बताया कि सुश्री कुमारी के बहन के पित का आचरण गंभीर था क्योंकि उसने उस विश्वास को तोड़ा जिस पर वैवाहिक संबंध बनता है। चूंकि इससे उन्हें मानसिक पीड़ा और वेदना हुई है, इसलिए मानसिक क्रूरता के आधार पर और उनके पित द्वारा अनुचित रूप से छोड़ दिए जाने के कारण सुश्री कुमारी की बहन तलाक के लिए हकदार है। वकील ने उन्हें किसी निजी वकील से परामर्श करने या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) से सहयोग लेने और अदालत में तलाक का मामला दायर करने की सलाह दी।

टेली-लॉ की बदौलत, सुश्री कुमारी अपनी बहन के भविष्य को ऐसे अविश्वासनीय और गैर-जिम्मेदार पति के हाथों से बचा सकेगी और उन्हें फिर से सम्मान की जिंदगी दिलावा सकेगी।



टेली-लॉ की बदौलत, सुश्री कुमारी अपनी बहुन के भविष्य को ऐसे अविश्वासनीय और गैर-जिम्मेदार पित के हाथों से बचा सकेगी और उन्हें फिर से सम्मान की जिंदगी जी सकने का संबंल मिल सकेगा। श्रीमती किरण बेगम अपने पुत्र शाहबाज अली और अपनी सौतेली बेटी (नाम शाहीन) के साथ पंजाब के मोगा जिले के समलसर गाँव में रहती हैं। श्रीमती बेगम की सौतेली बेटी ने अपने माता-पिता की सहमति के विरुद्ध शादी कर ली। शाहीन के भाई शाहबाज अली के अनुसार वे इस प्रेम विवाह के खिलाफ थे क्योंकि शाहीन का पित एक ड्रग एडिक्ट है। यह बताया गया था कि इस विवाहित जोड़े ने पुलिस का सहारा लिया था और उन्हें धमकी दी थी। इसलिए, श्रीमती बेगम अपने परिवार के सदस्यों और शाहीन के भविष्य के बारे में चिंतित थीं।

पैनल के वकील सुश्री अक्ष बसरा ने इस मामले की समीक्षा की और उन्हें (शाहबाज अली और श्रीमती बेगम) को सलाह दी कि उनकी बेटी के वयस्क होने के साथ वह कानूनी रूप से किसी से भी शादी कर सकती है। लेकिन जैसा कि यह युगल और उनके रिश्तेदार उन्हें धमकी दे रहेथे इसलिए वे स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफ़आईआर दर्ज करा सकते हैं।

श्रीमती बेगम के परिवार ने पैनल वकील की सलाह का पालन किया और स्थानीय पुलिस स्टेशन में उन सभी नामों का उल्लेख किया, जिनसे वे अपनी जान के लिए खतरा महसूस कर रही थी। टेली-लॉ के कारण श्रीमती किरण और शाहबाज अली को सुकून मिला और वे अपना जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत कर रहे हैं।



श्रीमती बेगम के परिवार ने पैनल वकील की सलाह का पालन किया और स्थानीय पुलिस स्टेशन में उन सभी नामों का उल्लेख किया, जिनसे वे अपनी जान के लिए खतरा महसूस कर रही थी। टेली-लॉ के कारण श्रीमती बेगम और शाहबाज अली को सुकून मिला और वे अपना जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत कर रहे हैं। श्री एन. राम मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के कोंडापुरम गाँव में एक मंदिर में अपनी प्रेमिका से गुप्त रूप से विवाह कर लिया। शादी के बाद, श्री रेड्डी की पत्नी अपने माता-पिता के घर रहने के लिए वापस चली गई। उनकी पत्नी के माता-पिता ने उनकी शादी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उन्हें डर था वह लड़की को किसी और से शादी करने के लिए मजबूर करेगे। इस डर से कि उनकी पत्नी की किसी और से जबरन शादी करवा दी जाएगी, श्री रेड्डी शादी के पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते थे और सभी कानूनी दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहते थे। उन्हें वीएलई श्री चौधुरु राजा के माध्यम से टेली-लॉ स्कीम के बारे में पता चला, जिन्होंने कानूनी सलाह के लिए उनका मामला दर्ज किया।

पैनल के वकील सुश्री चेतना उडवाला ने उन्हें सलाह दी कि विवाह प्रमाणपत्न प्राप्त करने के लिए दोनों भागीदारों को हस्ताक्षरित आवेदन फार्म भरने की और विवाह समारोह की दो फोटोग्राफ़्स, शादी का निमंत्रण कार्ड, उम्र और दोनों पक्षों के पते के प्रमाण, नोटरी / एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट का एफ़िडेविट यह साबित करने के लिए जमा करने की आवश्यकता होगी तािक यह सबित हो सके कि यह युगल, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाहित है। उन्हें मानसिक फिटनेस और पक्षों के बीच प्रतिषिद्ध नातेदारी में संबंध न होने का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही उन्हें वैवाहिक विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थता करवाने की सलाह दी गई।

श्री रेड्डी ने अदालत में अपनी शादी को पंजीकृत किया और विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त किया। वह टेली-लॉ सेवा के लिए बहुत आभारी हैं जिसने इस जोड़े को एक साथ रहने में मदद की।



श्री रेड्डी ने अदालत में अपनी शादी को पंजीकृत किया और विवाह प्रमाणपत प्राप्त किया। वह टेली-लॉ सेवा के लिए बहुत आभारी हैं जिसने इस जोड़े को एक साथ रहने में मदद की। श्रीमती कन्निया कुमारी, अपने पित के साथ तिमलनाडु के विरूधू नगर शहर में रहती हैं। कुछ गलतफहमी के कारण उनके पित ने उनसे तलाक मांगा। लेकिन वह तलाक देने को तैयार नहीं थी क्योंकि उनका एक बच्चा है और वह आर्थिक रूप से भी खुद और बच्चे का भरण-पोषण करने की स्थिति में नहीं थी। स्थिति से असहाय और आक्रोशित श्रीमती कुमारी को पीएलवी सुश्री पोनुचामी द्वारा टेली-लॉ के तहत कानूनी सलाह लेने के लिए कहा गया।

उनके मामले के लिए नियुक्त पैनल वकील श्री बाला कुमार ने उन्हें सूचित किया कि जोड़ों को विवाह बनाए रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह तब बहुत जिटल हो जाता है जब एक पक्ष तलाक मांग रहा हो और दूसरा देना नहीं चाहता हो। यदि पित पत्नी में से कोई एक पक्ष रिश्ते को समाप्त करना चाहते हैं, तो उसे दूसरे पक्ष को कानूनी नोटिस देना होगा और शादी टूटने का आधार बताते हुए अदालत में याचिका दायर करनी होगी। हालांकि, उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि कोर्ट तुरंत तलाक नहीं देगा। एक पक्ष द्वारा तलाक की याचिका दायर करने पर न्यायालय आश्वितों को दिए जाने वाले भरण-पोषण सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखेगा। यदि सुश्री कुमारी को ऐसा नोटिस मिलता है, तो उन्हें याचिका दायर करने के लिए किसी वकील की सेवाएं लेनी होंगी और इसके लिए गुजारा भत्ता मांगना होगा।

श्रीमती कुमारी ने अपने और अपने बच्चे की बेहतरी के लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस मामले पर चर्चा की। उचित मार्गदर्शन पाने के लिए वह टेली-लॉ की बहुत शुक्रगुजार हैं।



श्रीमती कुमारी ने अपने और अपने बच्चे की बेहतरी के लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस मामले पर चर्चा की। उचित मार्गदर्शन पाने के लिए वह टेली-लॉ की बहुत शुक्रगुजार हैं।



अन्याय से लड़ना



सुश्री गुरदीप कौर (पीड़िता रेनू कौर की दादी) जो एक अस्सी साल की विधवा हैं, पंजाब में मोगा जिले के भुल्लर गाँव में अपने बेटे तरसेम सिंह, जो एक इग-एडिक्ट है और अपनी 14 साल, 12 साल और 10 साल की उम्र की तीन नाबालिग पोतियों के साथ रहती हैं। तरसेम सिंह की पत्नी का देहांत हो चुका है और उनकी बेटीयों की देखभाल सुश्री गुरदीप कौर (दादी) कर रही थी। लड़िकयों के पिता श्री तरसेम उन्हें नियमित रूप से मारते और प्रताड़ित करते थे और कई मौकों पर उन्हें घर से भी बाहर निकाल दिया था। बाद में, तरसेम ने अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी, रेणु कौर पर 35 साल के व्यक्ति से शादी करने का दबाव डाला। सभी चारों (3 लड़िकयों और दादी) ने इसका विरोध किया, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की और वे अपना गृहनगर छोड़ने पर मजबूर हो गईं। तत्पश्चात, बच्चे अपनी दादी के साथ मोगा में बाघा पुराना में अपने मामा के गाँव चले गए। दुखी और निराश सुश्री गुरदीप कौर ने टेली-लॉ के माध्यम से अपने बेटे और उस दूसरे व्यक्ति (जो उनकी नाबालिग पोती से शादी करने के लिए तैयार था) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए सीएससी से संपर्क किया,।

सुश्री गुरदीप कौर को सीएससी के बाहर टेली-लॉ पोस्टर के माध्यम से और वीएलई गगनदीप सिंह द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से इस योजना के बारे में पता चला। उन्हें मामले का पंजीकरण हो जाने पर, सुश्री अक्ष बसरा को उनका वकील नियुक्त किया गया।

सुश्री गुरदीप कौर की ओर से, वीएलई श्री गगनदीप सिंह ने पैनल वकील को स्थिति की जानकारी दी। यह बताया गया कि एफ़आईआर दर्ज करने और एसएसपी, मुक्तसर को एक आवेदन दिए जाने के बावजूद भी मुक्तसर और मोगा की पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है। पैनल के वकील ने सुश्री गुरदीप कौर को एसएसपी मुक्तसर को एक लिखित शिकायत फिर से भेजने और बाल विकास और सामाजिक न्याय विभाग में एक और आवेदन दायर करने की सलाह दी।



सुश्री गुरदीप कौर इस मामले में टेली-लॉ के समर्थन के लिए बेहद आभारी हैं जिसने उन्हें और उनकी पोतियों को सुरक्षा और सम्मान की जिंदगी जीने में मदद की । सुश्री करनप्रीत कौर* पंजाब राज्य में मोगा जिले के एक गाँव की निवासी हैं। 2014 में, सुश्री कौर 15 साल की थीं और स्कूल से लौट रही थीं, उनके साथ गाँव के एक व्यक्ति श्री संदीप सिंह* ने बलात्कार किया। आरोपी की उम्र उस समय 39 साल की थी और पीड़िता के पिता की एफ़आईआर दर्ज करने पर उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आईपीसी की धारा 376 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 और 4 की धारा 1989 के तहत और लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) की धारा 3 और 4 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई थी। आरोपी श्री संदीप सिंह को दस साल की सजा सुनाई गई और उसे पीड़िता को 2 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। एक साल बाद,संदीप सिंह* को गाँव में खुले रूप से घूमते हुए पाया गया। अब तक, पीड़ित सुश्री कौर को क्षतिपूर्ति के रूप में केवल 50,000 रुपए ही प्राप्त हुए थे।

सुश्री कौर को वीएलई श्री सुखवीर सिंह ने टेली-लॉ योजना के बारे में बताया और टेली-लॉ की "तत्काल कानूनी सलाह सुविधा" के तहत उनका मामला दर्ज करवाया। सुश्री अक्ष बसरा को उनके मामले में वकील नियुक्त किया गया, जिन्होंने सुश्री कौर की माँ और भाई जसपाल सिंह* को सलाह दी कि वे इस मुद्दे पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) मोगा से कानूनी मदद लें, तािक आरोपी श्री संदीप सिंह को सलाखों के पीछे डाला जा सके और पीड़िता को समय पर मुआवजा मिल सके।

यह पता चला है कि सुश्री कौर का परिवार बहुत गरीब और अनपढ़ है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोगा अदालत में अवमानना का कोई भी मामला दर्ज करने से डरता है। इसके अलावा, जैसा कि सुश्री कौर की अब विवाह योग्य उम्र हो गई है, इसलिए परिवार के सदस्यों को उसकी शादी की संभावनाओं में बाधा आने का डर है। हालांकि, टेली-लॉ स्टेट कोर्डिनेटर, वीएलई, पीएलवी और सीएससी के अन्य अधिकारियों द्वारा राजी किए जाने पर उनकी ओर से पूरे मामले पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मोगा से सलाह ली गई। सीजेएम ने मामले को ध्यान पूर्वक देखा और 1.5 लाख रुपए का मुआवजा प्राप्त करने के लिए इस मामले को सिविल कोर्ट मोगा में पूर्ण कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ वकील को नियुक्त किया।

टेली-लॉ वास्तव में गरीबों की आवाज साबित हो रहा है और सुश्री कौर जैसी पीड़ितों की मदद कर रहा है।



देली-लॉ वास्तव में गरीबों की आवाज साबित हो रहा है और सुश्री कौर जैसी पीड़ितों की मदद कर रहा है। दस साल पहले, केरल राज्य में वायनाड़ जिले के कृष्णागिरि गाँव की निवासी सुश्री सरस्वती टी.एम. ने मैसर्स फेडरल बैंक, शाखा बाथेरी से ऋण लिया था। ऋण के भुगतान में चूक हुई और बैंक अधिकारियों ने दीवानी न्यायालय के समक्ष वाद दायर किया। 2018 में लोक अदालत में उक्त मामले का निपटारा किया गया। सुश्री सरस्वती टी.एम. ने तुरंत राशि का भुगतान कर दिया और बैंक के साथ पूरा लेनदेन समाप्त हो गया। हालांकि, बैंक अधिकारियों के साथ दो साल तक लगातार पूछताछ करने के बाद भी सुश्री सरस्वती टी.एम. को वह हक विलेख (टाइटिल डीड) प्राप्त नहीं हुआ जो उन्होंने ऋण लेने के समय बैंक के पास गिरवी रखा था।

जब उन्हें पीएलवी अर्जुनकृष्ण के. आजाद द्वारा टेली-लॉ योजना के बारे में बताया गया तो असंतुष्ट, सुश्री सरस्वती ने टेली-लॉ से कानूनी परामर्श लेने का निर्णय लिया। वीएलई श्री सोनी आजाद के.के. ने सुश्री सरस्वती के मामले को पैनल वकील श्री चित्रा लाल के साथ परामर्श के लिए पंजीकृत करवाया।

श्री चिता लाल ने विस्तार से सलाह दी कि यदि कोई राशि देय नहीं है और बैंक का कोई ग्रहणाधिकार (लिएन) नहीं है तो बैंक को किसी भी टाइटल डीड को अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। सुश्री सरस्वती टी.एम. को ऋण लेने के समय बैंक में जमा किए गए टाइटिल डीडों को वापस करने में देरी पर जवाब मांगते हुए शाखा प्रबंधक और क्षेत्रीय अधिकारी को एक डिमांड नोटिस भेजने की सलाह दी गई। यदि एक पर्याप्त समय के बाद भी, बैंक कोई वैध उत्तर नहीं देता है, तो सुश्री सरस्वती टी.एम. अपनी शिकायत के निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल के समक्ष एक याचिका दायर कर सकती हैं।

टेली-लॉ के माध्यम से सुश्री सरस्वती टी.एम. को बैंक से अपने लंबित टाइटिल डीडों को <mark>वापस पाने के</mark> लिए नई आशा और दिशा मिली है।



देली-लॉ के माध्यम से सुश्री सरस्वती टी.एम. को बैंक से अपने लंबित टाइटिल डीडों को वापस पाने के लिए नई आशा और दिशा मिली है। झारखंड राज्य के पलामू जिले के पिपराखुर्द गाँव के निवासी श्री योगिन्द्र कुमार को एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने उनकी आय बढ़ाने के लिए एक एप डाउनलोड करने और पुरस्कार प्राप्त करने को कहा। योगेन्द्र कुमार ने आज्ञानतावश एप को डाउनलोड किया और कुछ समय के बाद उनके बैंक खाते से पैसा निकलना शुरू हो गया। बुरे इरादों को न भांप पाने के कारण योगिन्द्र कुमार ने विभिन्न लेनदेन के माध्यम से उन्हें 20,000 रुपए स्थानांतरित कर दिए। जब उनके एटीएम कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर को साझा करने के लिए कहा गया, तो योगिन्द्र कुमार को महसूस हुआ कि वह इस अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका पैसे निकलवाने के जाल में फंस गया है।

योगिन्द्र कुमार को वीएलई श्री रमेश कुमार पासवान के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला, जिन्होंने सीधे परामर्श के लिए उनका मामला दर्ज किया। श्री गौरव कुमार सिन्हा को उनका पैनल वकील नियुक्त किया गया जिन्होंने श्री कुमार को पुलिस स्टेशन की साइबर अपराध शाखा में शिकायत दर्ज करने और उन्हें लेनदेन के विवरण को बताने की सलाह दी। उनके ऐसे एप को तुरंत अपने मोबाइल से हटाने और साइबर क्राइमसेल के साथ उस लिंक को साझा करने की भी सलाह दी गई।

यह पता चला है कि श्री योगेन्द्र ने पुलिस में साइबर क्राइम सेल में शिकायत की है और वह टेली-लॉ सेवा के आभारी है जो निर्दोष लोगों को ऐसे धोखेबाज़ों का शिकार होने से बचाने में मदद कर रही है।



श्री कुमार ने साइबर अपराध सेल मे शिकायत की है और वह टेली लॉ सेवा के शुक्रगुजार है जो निर्दोषों की सहायता कर रही है। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बडगाम जिले में पहाड़थन गाँव में हाई वोलट वाले विद्युत केबल लगाए गए थे, जो फारुक अहमद शेख के कृषि क्षेत्र को भी कवर करते थे, जिसके लिए उनकी अनुमित नहीं ली गई थी। अपनी फसल का भारी नुकसान होने के कारण, श्री शेख ने इसे हटाने की प्रक्रिया को जानना चाहा, क्योंकि उस भूमि पर कोई अन्य कृषि कार्य नहीं किया जा सकता जहां बिजली की केबलें खड़ी होती हैं / या जिस भूमि से यह गुजरती हैं। श्री शेख को पीएलवी मोहम्मद अशरफ राथर के माध्यम से इस योजना के बारे में पता चला और वीएलई श्री सिरजौन अहमद डार ने पैनल वकील के साथ परामर्श के लिए श्री शेख का केस दर्ज किया।

उनके मामले में नियुक्त वकील श्री मंजूर ने अवैध रूप से बिजली की लाइन को न हटाने का परामर्श दिया और जिला कलेक्टर, तहसीलदार और बिजली विभाग के मुख्य अभियंता को अपनी कृषि भूमि से हाई वोलट बिजली की तार हटाने के संबंध में एक लिखित प्रतिवेदन भेजने की सलाह दी।

श्री शेख, टेली-लॉ के शुक्रगुजार हैं जिससे उन्हें इस मुद्दे को हल करने के लिए सही कानूनी सहारा लेने हेतु मार्ग निर्देश प्राप्त हुआ।



श्री शेख, टेली-लॉ के शुक्रगुजार हैं जिससे उन्हें इस मुद्दे को हल करने के लिए सही कानूनी सहारा लेने हेतु मार्ग निर्देश प्राप्त हुआ। पंजाब के मोगा जिले के समलसर गाँव के निवासी श्री हरबंस सिंह का समलसर के स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा के बैंक में (जिसका अब एसबीआई में विलय हो गया है) खाता था। श्री मनजीत सिंह (स्टेट बैंक ऑफ पटियाला) के मैनेजर और कर्मचारी श्री सुखपाल सिंह (क्लर्क) ने उनकी अशिक्षा का फायदा उठाया। उन्होंने श्री हरबंस को बैंक के दैनिक वेतन वाले चपराशि श्री जगसीर सिंह को जारी किए गए ऋण पर धोखे से गारंटर बना दिया। उन तीनों ने कुछ कागजों पर श्री हरबंस सिंह के अंगूठे का निशान ले लिया। बाद में, बैंकों के विलय के कारण, श्री जगसीर की नौकरी चली गई और इसी बीच नए बैंक प्रबंधक ने बैंक की ज़िम्मेदारी संभाली। बैंक प्रबंधक ने श्री जगसीर सिंह के ऋण गारंटर श्री हरबंस सिंह को बैंक का डिफाल्टर माना। वीएलई श्री गगनदीप सिंह ने स्थिति से चिंतित और परेशान श्री हरबंस को टेली-लॉ के तहत "तत्काल कॉल सुविधा" के माध्यम से पैनल वकील से कानूनी सलाह लेने के लिए कहा।

सुश्री अक्ष बसरा उनके मामले में नियुक्त वकील थीं। पैनल वकील ने श्री हरबंस को बैंक में उन विरष्ठ अधिकारियों द्वारा उनसे की गई धोखाधड़ी को ध्यान में लाने के लिए कहा, जिन्होंने श्री जगसीर सिंह को ऋण की सुविधा के लिए अपने पदों का दुरुपयोग किया और उनके विरुद्ध छल और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के लिए भी कहा। टेली-लॉ ने श्री हरबंस सिंह को अपनी लड़ाई लड़ने में मदद की और श्री हरबंस ने आरबीआई अधिकारियों, ज़ोनल हेड, एसबीआई और जिला प्रबंधक एसबीआई, मोगा को एक लिखित शिकायत दी। उन्होंने सभी दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए समलसर, पुलिस स्टेशन से भी संपर्क किया है।



टेली-लॉ ने श्री हरबंस सिंह को अपनी लड़ाई लड़ने में मदद की और श्री हरबंस ने आरबीआई अधिकारियों, ज़ोनल हेड, एसबीआई और जिला प्रबंधक एसबीआई, मोगा को एक लिखित शिकायत दी। सुश्री कोमल देवी* एक कॉलेज छाता हैं, जो पंजाब राज्य के मोगा जिले में एक गाँव में रहती हैं। रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति ने उनका पीछा किया। अचानक उनके मोबाइल पर भद्दे-भद्दे मैसेज आने लगे। खुद को ऐसी मुश्किल स्थिति में पाते हुए, सुश्री कोमल देवी ने परामर्श के लिए सीएससी केंद्र से संपर्क किया, जिसमें वीएलई श्री गगनदीप सिंह ने उन्हें पैनल वकील के साथ अपना मामला दर्ज करने के लिए कहा।

सुश्री अक्ष बसरा को उनका वकील नियुक्त किया गया जिन्होंने उन्हें इस तरह के मामलों की पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता बताई। वकील ने उन्हें एक प्राथमिकी दुर्ज करने के लिए कहा, अन्यथा ऐसे मामले गंभीर हो सकते हैं और व्यक्ति के जीवन को भी खतरे में डाल सकते हैं।

सुश्री कोमल देवी इस बात से प्रसन्न थीं कि टेली-लॉ ने उन्हें सतर्क किया और किसी भी तरह का मनोवैज्ञानिक आघात पहुँचने से बचाया।



सुश्री कोमल देवी इस बात से प्रसन्न थीं कि टेली-लॉ ने उन्हें सतर्क किया और किसी भी तरह का मनोवैज्ञानिक आघात पहुँचने से बचाया। बिहार में कटिहार जिले के बड़ी भाई सदिरा गाँव के निवासी श्री अखिलेश कुमार पर उनके ही चचेरे भाई ने 2018 में तेजाब से हमला कर दिया। लेकिन उन्हें आज तक जिला प्रशासन से मुआवजा नहीं मिला है। श्री अखिलेश कुमार खुद एक वीएलई हैं और उन्होंने पैनल के वकील के साथ परामर्श के लिए अपना मामला दर्ज करने का फैसला किया। सुश्री शिल्पी केशरी को उनका वकील नियुक्त किया गया, जिन्होंने उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) और जिला मजिस्ट्रेट के संमक्ष एक आवेदन दर्ज करने के लिए कहा।

वकील की सलाह को मानते हुए यह पता चला है कि श्री अखिलेश ने डीएम कार्यालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया है। ग्रामीणों को टेली-लॉ स्कीम का लाभ प्रदान करने के लिए श्री अखिलेश स्वप्रेरित हैं।



वकील की सलाह को मानते हुए यह पता चला है कि श्री अखिलेश ने डीएम कार्यालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया है। ग्रामीणों को टेली-लॉ स्कीम का लाभ प्रदान करने के लिए श्री अखिलेश स्वप्रेरित हैं। श्री प्रदीप, हरियाणा राज्य में मेवात जिले के सुंध गाँव में रहते हैं। नूंह के एक अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी पाने के लिए श्री प्रदीप को बेईमानी से एक दूसरे व्यक्ति को 50,000/ रुपए देने के लिए दुरुप्रेरित किया गया। हालांकि, श्री प्रदीप को एक वार्ड बॉय के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है और दूसरा व्यक्ति न तो उनके कॉल को ले रहा है और न ही उनके संदेशों का जवाब दे रहा है। वीएलई श्री विक्रम द्वारा टेली-लॉ के तहत कानूनी परामर्श के लिए श्री प्रदीप का मामला दर्ज किया गया था।

सुश्री अक्ष बसरा को उनका वकील नियुक्त किया गया, जिन्होंने उन्हें एक प्राथमिकी दुर्ज करने के लिए कहा क्योंकि यह धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला था, जहां किसी अन्य व्यक्ति ने श्री प्रदीप को वार्ड बॉय की नौकरी दिलाने का झूठा विश्वास, भरोसा दिलाया था।

श्री प्रदीप ने बताया कि वह इस तरह के धोखेबाज़ों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए टेली-लॉ के तहत प्राप्त सलाह का पालन करेंगे, जो झूठे वादे करके निर्दोष लोगों को धोखा देते हैं।



श्री प्रदीप ने बताया कि वह इस तरह के धोखेबाज़ों पर कानूनी कार्रवाई के लिए टेली-लॉ के तहत प्राप्त सलाह का पालन करेंगे, जो झूठे वादे करके निर्दोष लोगों को धोखा देते हैं।



प्रक्रियागत कठिनाइयों को दुर करना



झारखंड के गिरीडीह जिले के बेको (डब्ल्यू) गाँव के रहने वाले श्री देवी लाल महतो ने केरल के एक ठेकेदार के तहत 3 साल तक ओमान में काम किया। अपना काम पूरा होने के बाद भी ठेकेदार ने 6 महीने तक उनका वेतन नहीं दिया और भाग गया। श्री देवीलाल और उनके दोस्तों को एक दूसरे देश में वित्तीय संकट के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। श्री देवीलाल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह भारत वापस आ सके। अपने माता-पिता से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर श्री देवीलाल भारत वापस आ पाये। श्री देवीलाल ने अपने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला किया जिसके लिए उन्होंने सलाह मांगी।

श्री महतों को वीएलई, श्री रमेश कुमार के माध्यम से इस योजना के बारे में पता चला जिसने उन्हें टेली-लॉ के तहत पैनल वकील से सलाह लेने को कहा।

उनके मामले में नियुक्त वकील श्री गौरव कुमार सिन्हा ने उन्हें विदेश मंत्रालय में शिकायत दर्ज करने और कंपनी के ठेकेदार का वीजा रद्द करने और ब्याज सिहत अपने वेतन के भुगतान की मांग करने की सलाह दी। उन्हें समझाया गया कि वे शिकायत की एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय और एक राज्य के मुख्य सचिव के कार्यालय में भेजें।

टेली-लॉ ने श्री महतो को केस दर्ज करने की उस अपारदर्शी प्रक्रिया को समझने में मदद की, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। श्री महतो ने बताया कि वह आगे की कार्रवाई करने से पहले अपने परिवार के सदस्यों से भी सलाह करेंगे।



टेली-लॉ ने श्री महतो को केस दुर्ज करने की उस अपारदर्शी प्रक्रिया को समझने में मदद की, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। श्री महतो ने बताया कि वह आगे की कार्रवाई करने से पहले अपने परिवार के सदस्यों से भी सलाह करेंगे। महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले के तलवड़े बक के निवासी **सुश्री माधुरी रविन्द्र पाटिल** 2 साल से एक कंपनी में संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत थीं। कंपनी ने प्रोविडेंट फंड के भुगतान में योगदान दिया और यह उनके वेतन से भी काटा गया। जब उनकी अनुबंध अविध समाप्त हो गई, तो कंपनी ने उनकी प्रोविडेंट फंड संख्या का खुलासा नहीं किया या उनकी पीएफ़ राशि जारी नहीं की। अपने भविष्य निधि के पैसे लेने के लिए सुश्री माधुरी को वीएलई श्री जायेश शामराव पाटिल द्वारा टेली-लॉ के तहत कानूनी सलाह लेने के लाभों के बारे में बताया गया।

उनके मामले के पंजीकरण पर सुश्री प्रीति आर. महाजन को उनका वकील नियुक्त किया गया था। सुश्री माधुरी को सलाह दी गई कि ईपीएफओ के साथ पंजीकृत कंपनी का दायित्व है कि वह ईपीएफओ खातों के लिए अंशदान करे और सुश्री माधुरी को इसका दावा करने का अधिकार है। सुश्री माधुरी को यह समझाया गया कि पीएफ़ के तहत किसी भी सेवा या भुगतान को वापस लेने के लिए उन्हें नियोक्ता से अपना यूएएन (यूनिक अकाउंट नंबर) प्राप्त करना चाहिए। हर कंपनी किसी कर्मचारी के ईपीएफ़ अंशदान को डालने के लिए एक नई ईपीएफ़ सदस्य आईडी बनाती है। यूएएन सभी ईपीएफ़ खातों को एक साथ मिलाने में मदद करता है, भले ही कर्मचारी भविष्य में कोई भी नौकरी बदल ले। कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ़) के किसी भी गलत तरीके से इनकार करने या पीएफ़ के भुगतान में देरी के मामले में, सुश्री माधुरी को प्रबन्धक और उनकी कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा गया था।

ईपीएफ़ खातों का लाभ उठाने की प्रक्रिया के बारे में बताए जाने पर सुश्री माधुरी ने अपने नियुक्ति प्रस्ताव पत्न और अन्य ज्वाइनिंग दस्तावेजों के साथ कंपनी के प्रबंधक से संपर्क करने और पीएफ़ आईडी के बारे में नियोक्ता से एक उपकार के रूप में नहीं अपितु अपने अधिकार के रूप में पूछने का निर्णय लिया।



सुश्री पाटिल ने टेली-लॉ की मदद ली और अपने अधिकारों के बारे में सशक्त हुई। सुश्री उषाबाई नाना भील महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले के तलवाडे बक गाँव की रहने वाली हैं। उन्होंने ईएमआई पर एक टीवी खरीदा था जिसकी किश्तें वह नियमित रूप से चुका रही थी। सुश्री उषाबाई उस समय चौंक गईं जब उन्हें अवांछित कॉल प्राप्त हुई जिसमें कहा गया कि वे अपने ईएमआई पर जुर्माने की राशि का भुगतान करें। उन्होंने अपनी ईएमआई भुगतान में कभी भी चूक नहीं की थी, अतः उन्हें एसी अवांछित कॉल प्राप्त करने पर परेशानी महसूस हुई। सुश्री उषाबाई को श्री जयेश शामराव पाटिल वीएलई के माध्यम से टेली-लॉ के बारे में पता चला, जो अपने गाँव में सीएससी चलाते हैं।

अपने मामले के पंजीकरण के बाद सुश्री प्रीति आर. महाजन को उनका वकील नियुक्त किया गया, जिन्होंने सुश्री उषाबाई को सलाह दी कि वे सबसे पहले बैंक से अपडेट किए गए उस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को लें, जो उन्हें मासिक ईएमआई भुगतान को दर्शाता हो। उसके बाद उन्हें भुगतान से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करने के लिए सभी आवश्यक विवरणों के साथ कंपनी प्रबंधक/या उस व्यक्ति से मिलने के लिए कहा गया जो ईएमआई को संभालने के लिए जिम्मेदार था। सुश्री उषाबाई को बताया गया था कि वह कंपनी और उस नंबर जिससे उन्हें ईएमआई के संबंध में ऐसी अवांछित कॉल मिल रही हैं, के खिलाफ एक एफ़आईआर दर्ज कर सकती हैं।

टेली-लॉ ने सुश्री उषाबाई को सहज महसूस कराया और उन्हें मामले से संबंधित उन सभी <mark>जानकारियों और</mark> अधिकारों से अवगत कराया जिनकी आवश्यकता उन्हें इस मामले में पड़ सकती हो।



टेली-लॉ ने सुश्री उषाबाई को सहज महसूस कराया और उन्हें मामले से संबंधित उन सभी जानकारियों और अधिकारों से अवगत कराया जिनकी आवश्यकता उन्हें इस मामले में पड़ सकती हो। श्री जमशेद अली अपने पिता के साथ हरियाणा में मेवात जिले के निजामपुर गाँव में रहते थे । दुर्भाग्य से, श्री जमशेद अली ने अपने पिता को खो दिया जिनका एक बिजली के खंभे को छूने से लगी चोटों के कारण देहांत हो गया। हताश और हतप्रभ श्री जमशेद अली बिजली बोर्ड और उनके अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। श्री जमशेद अली को उनके एक रिश्तेदार (चाचा) से टेली-लॉ स्कीम के बारे में पता चला, जिन्होंने वीएलई श्री जुनैद अहमद के सीएससी में मामला दर्ज करने में उनकी मदद की। श्री जुनैद अहमद ने वकील से सलाह के लिए उनका मामला दर्ज किया।

सुश्री अक्ष बसरा को उनके उनका वकील नियुक्त किया गया जिन्होंने श्री अली को सलाह दी कि इलेक्ट्रोक्यूशन (बिजली के कारण मौत) के कारण मृत्यु से संबंधित मामलों में, सबसे पहले यह स्थापित करना आवश्यक है कि मृत्यु का कारण इलेक्ट्रोक्यूशन है और उक्त मृत्यु बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुई है। इसके बाद ही मुआवजे के लिए श्री जमशेद अली को पाल माना जाएगा। उन्हें एक आवेदन लिखने और उसे मुख्य कार्यकारी अभियंता और जिला न्यायालय में जमा करने को कहा गया है जिसकी साथ उन्हें एफ़आईआर, पुलिस विभाग से पंचनामा रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पल, तहसीलदार से कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपल, स्पॉट फोटो, स्थान दिखाने के लिए स्केचिंग आदि के विवरण संलग्न हों।

सलाह पर ध्यान देते हुए श्री जमशेद अली ने दस्तावेजों के साथ मुख्य कार्यकारी अभियंता और जिला न्यायालय में एक आवेदन दायर किया है। श्री जमशेद अली इस बात से प्रसन्न हैं कि टेली-लॉ ने उन्हें मुआवजे का दावा करने में किसी भी प्रक्रियात्मक कठिनाई को दूर करने के लिए सही कानूनी प्रक्रिया प्रदान की।



श्री जमशेद अली इस बात से प्रसन्न हैं कि टेली-लॉ ने उन्हें मुआवजे का दावा करने में किसी भी प्रक्रियात्मक कठिनाई को दूर करने के लिए सही कानूनी प्रक्रिया प्रदान की। सुश्री रीता देवी गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) श्रेणी के तहत आती हैं और बिहार राज्य में खगड़िया जिले के बन्नी गाँव की निवासी हैं। वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (प्रधानमंत्री-किसान योजना) के तहत आय सहायता प्राप्त करने के लिए पाल है। हालांकि आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के बाद भी उनका अनुरोध बार-बार रह किया जाता रहा है। योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त करने में असमर्थ, सुश्री रीता देवी ने पैरा-लीगल वालांटियर श्री राजीव कुमार के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और वीएलई श्री राजकुमार की मदद से टेली-लॉ के तहत कानूनी सलाह के लिए उनका मामला दर्ज करवाया।

नियुक्त वकील सुश्री पूनम चतुर्वेदी ने सुश्री रीता देवी को सलाह दी कि वे बैंक पासबुक के साथ अपने सभी संबंधित दस्तावेजों को ग्रामीण बैंक में ले जाएं और प्रबंधक को अपनी समस्या विस्तार से बताएं।

सलाह पर ध्यान देते हुए सुश्री रीता देवी ने अपने पित के साथ बैंक गईं और बैंक प्रबंधक के साथ सभी विवरणों पर चर्चा की। बैंक प्रबंधक ने विवरण को अद्यतित किया और इसे अग्रेषित किया। 2 दिनों के बाद, सुश्री रीता देवी का डेटा प्रधानमंत्री किसान सम्मान पोर्टल पर स्वीकार कर लिया गया और फंड ट्रांसफर आदेश जनरेट हो गया। यह सूचित किया गया है कि सुश्री रीता देवी को उनके बैंक खाते में किश्त मिली है।

सुश्री रीता देवी गाँव में उपलब्ध टेली-लॉ की सेवा के लिए आभार महसूस करती है, जिसके द्वारा उन जैसी कोई भी महिला अपने स्वयं के प्रयास से किसी भी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी तकनीकी बाधा को दुर कर सकती है।



सुश्री रीता देवी ने गाँव में उपलब्ध टेली-लॉ की सेवा के लिए आभार महसूस करती है, जिसके द्वारा उन जैसी कोई भी महिला अपने स्वयं के प्रयास से किसी भी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी तकनीकी बाधा को दुर कर सकती है। मोहम्मद रफीक हरियाणा राज्य में मेवात जिले के जालिका गाँव के रहने वाले हैं। मोहम्मद रफीक ने प्रधानमंती किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान योजना) के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें इस योजना के तहत राशि अर्थात 6000/- प्राप्त नहीं हुए। अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने की प्रक्रिया से अंजान, मोहम्मद रफीक ने अपने एक दोस्त के साथ अपनी समस्या पर चर्चा की। सौभाग्य से उनके दोस्त ने जो सीएससी केंद्र में उनके गाँव में ही काम करते थे, उन्हें टेली-लॉ स्कीम के बारे में बताया और वीएलई श्री साबिर हुसैन की मदद से उनका मामला कानूनी सलाह के लिए दर्ज करवाया। श्री विकास कुमार को उनका वकील नियुक्त किया गया था, जिन्होंने उन्हें तहसील और एसडीएम कार्यालय में दिए जाने के लिए एक आवेदन पत लिखने में उनका मार्गदर्शन और सहायता की।

सलाह के अनुसार, मोहम्मद रफीक तहसील और एसडीएम कार्यालय गये, जहां उन्होंने अधिकारियों को अपनी समस्या बताई। उनके आवेदन को पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर ट्रैक किया गया। यह पाया गया कि गलत विवरण के कारण उन्हें राशि नहीं मिली। लुटि को सुधार लिया गया है। टेली-लॉ के तहत प्राप्त कानुनी सहायता से मोहम्मद रफीक संतुष्ट हैं।



टेली-लॉ के तहत प्राप्त कानूनी सहायता से मोहम्मद रफीक संतुष्ट हैं। सुश्री वीरपाल कौर जो एक आंगनवाड़ी वर्कर हैं और एक विधवा हैं जो पंजाब राज्य में फिरोजपुर जिले के आरिफ़ के. गाँव में रहती हैं। वह जानना चाहती थी कि क्या कोई व्यक्ति विभिन्न सरकारी विभागों से दो पेंशन के लिए पाल हो सकता है। उन्हें वीएलई श्री हरप्रीत सिंह द्वारा टेली-लॉ स्कीम के बारे में बताया गया, जिन्होंने उन्हें पैनल वकील से सलाह लेने और परामर्श करने की सलाह दी, जिसमें सुश्री अक्ष बसरा को उनका वकील नियुक्त किया गया।

सुश्री वीरपाल कौर को सलाह दी गई कि व्यक्ति विभिन्न विभागों से पेंशन का लाभ उठा सकता है। इतनी शीघ्रता से सलाह मिलने पर सुश्री कौर को सुकुन प्राप्त हुआ।



सुश्री वीरपाल कौर को सलाह दी गई कि व्यक्ति विभिन्न विभागों से पेंशन का लाभ उठा सकता है। इतनी शीघ्रता से सलाह मिलने पर सुश्री कौर को सुकुन प्राप्त हुआ। श्री साबिर के लिए राष्ट्रव्यापी बंद (लॉकडाउन) के दौरान बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई । वह हरियाणा के मेवात जिले के जालिका गाँव के रहने वाले है। वह मनरेगा योजना के तहत स्वयं को पंजीकृत करने की प्रक्रिया और मनरेगा जॉब कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया जानना चाहते थे। श्री साबिर को उनके एक मित्र से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला, जो वर्तमान में उनके गाँव में सीएससी केंद्र में काम कर रहे हैं और उन्होंने उनकी शिकायत दर्ज कराने में भी उनकी मदद की।

श्री विकाश कुमार को उनके मामले में वकील नियुक्त किया गया था। श्री साबिर को समझाया गया कि वह मनरेगा के तहत पंजीकरण के लिए सादे कागज पर अपना आवेदन जमा कर सकते है या स्थानीय पंचायत में उपलब्ध फॉर्म भरकर दे सकते है। पंजीकरण पूरे वर्ष खुला रहता है। फॉर्म भी ऑनलाइन और मनरेगा की वेबसाइट पर मुफ्त में उपलब्ध है। आवेदन के साथ, निम्नलिखित दस्तावेजों को लगाए जाने की आवश्यकता होती है, जिसमें आवेदन पत्न, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्न, आधार / पैन कार्ड की तस्वीर शामिल होती हैं। पूरी तरह से भरे गए फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने पर, श्री साबिर को इन दस्तावेजों को जमा करने के 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा।

श्री साबिर टेली-लॉ के आभारी है, जिसने उन्हें मनरेगा जॉब कार्ड के लिए <mark>आवेदन करने में सारी प्रक्रिया और</mark> सूचना से अवगत कराया।



श्री साबिर टेली-लॉ के आभारी है, जिसने उन्हे मनरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन करने में सारी प्रक्रिया और सूचना से अवगत कराया। श्री गुइकियाबा ब्रीआमतक एक मनरेगा जॉब कार्ड धारक है, जो मणिपुर राज्य में तामेंगलांग जिले के काबुईखुलेन प्राधिकरण में रहते है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में मनरेगा योजना के तहत, श्री गुइकियाबा को राशि प्राप्त हुई, लेकिन वित्तीय वर्ष 2019-2020 में उन्हें कोई राशि नहीं मिली, जिसके लिए उन्होंने कई बार काबुईखुलेन ग्राम के अध्यक्ष से शिकायत की थी। इस नौकरशाही बाधा के कारण वह राशि प्राप्त न होने का कारण जानना चाहते है और इसके निवारण के लिए सही अधिकारी का पता जानना चाहते है।

श्री गुइकियाबा जो स्वयं एक वीएलई है और इस योजना के बारे में जागरूक होने के कारण उन्होंने खुद को इस योजना के तहत पंजीकृत करवाया, जिसमें श्री वाहेंगबम निरंजित सिंह को इस मामले में पैनल वकील नियुक्त किया गया था। उन्हे ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के तहत योजनाओं के कार्यान्वयान से संबंधित शिकायतों या फरियादों में सहायता देने के लिए मणिपुर सरकार द्वारा शुरू किए गए टोल फ्री नंबर 1800-345-3872 पर संपर्क करने की सलाह दी गई।

टोल फ्री नंबर के बारे में जानने पर श्री गुइकियाबा ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। यह बताया गया कि अधिकारी उनकी शिकायत देखने के बाद उनसे संपर्क करेंगे।



टोल फ्री नंबर के बारे में जानने पर श्री गुइकियाबा ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। यह बताया गया कि अधिकारी उनकी शिकायत देखने के बाद उनसे संपर्क करेंगे। श्री अश्वनी कान्त गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) श्रेणी के हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के कौड़िहार गाँव में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। श्री कान्त की पत्नी को प्रधानमंत्नी उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेशन का लाभ मिला था। उसने इस सुविधा का लाभ उठाया और कई बार गैस रिफिल प्राप्त किया लेकिन कुछ महीनों के बाद उनका गैस कनेक्शन खाता निष्क्रिय हो गया और उन्हें इस योजना के तहत कोई भी सब्सिडी प्राप्त नहीं हो पा रही थी। अपनी पत्नी की ओर से श्री कान्त इस सुविधा को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया जानना चाहते थे।

वे सीएससी गए जहां वीएलई, पुनीत तिपाठी ने श्री कान्त को टेली-लॉ योजना के तहत किसी पैनल वकील से परामर्श लेने को कहा । श्री विकास कुमार को उनका पैनल वकील नियुक्त किया गया था, जिन्होंने पीएमयूवाई पोर्टल (pmujjwalayojana.com) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में श्री कान्त की सहायता की। उन्हें टोल फ्री नंबर पर कॉल करने और शिकायत की प्रति एसडीएम को भी देने की सलाह दी गई।

श्री कान्त ने अपने मुद्दे के बारे में भारत गैस और पीएमयूवाई पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दुर्ज करने के बाद एसडीएम कार्यालय में एक शिकायत की प्रति भी जमा की। यह पता चलता है कि श्री कान्त का गैस कनेक्शन सक्रिय हो गया है और उन्हें पीएमयुवाई के तहत सबसिडी प्राप्त हो रही है।



यह पता चलता है कि श्री कान्त का गैस कनेक्शन सिक्रय हो गया है और उन्हें पीएमयूवाई के तहत सबसिडी प्राप्त हो रही है। श्री सिजिथ अपने पिता के साथ केरल राज्य के वायनाड जिले के नेनमेनी गाँव में रहते हैं। श्री सिजिथ के पिता ने भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लिया था। हालांकि, इससे पहले कि उक्त ऋण को चुकाया जा सकता श्री सिजिथ के पिता का निधन हो गया। श्री सिजिथ के पिता ने बैंक के साथ तीन अलग-अलग सर्वे नंबर और तीन टाइटल डीड़ में तीन संपत्तियों को गिरवी रखा था। अपने पिता की मृत्यु के बाद, श्री सिजिथ ने बैंक के ऋण को चुका दिया। तदनुसार, ऋण से संबंधित दस्तावेज़ बैंक द्वारा वापस किए जाने थे। हालांकि, बैंक ने केवल 2/3 दस्तावेज लौटाए। बार-बार मांग और पूछताछ के बावजूद बैंक अधिकारी एक वर्ष से अवधि के बाद भी उक्त टाइटल डीड को वापस करने में विफल रहे। थककर श्री सिजिथ एक कानूनी उपाय के लिए परामर्श करना चाहा और उन्हे वीएलई सिद्दीक ए.के. के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला।


टेली-लॉ योजना के तहत अपने मामले का पंजीकरण करवाने के बाद, श्री चित्रा लाल को उनका पैनल वकील नियुक्त किया गया, जिन्होंने श्री सजिथ को सलाह दी कि वह अपनी शिकायत का उल्लेख करते हुए बैंक के शाखा प्रबंधक या क्षेत्रीय प्रबंधक से लिखित में शिकायत दर्ज करे और उसकी पावती भी ले। यदि उचित समय के भीतर कोई सकारात्मक जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो वह अपनी शिकायत के निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकता है।

श्री सजिथ टेली-लॉ सलाह से संतुष्ट थे जिसके कारण उन्हे बैंक अधिकारियों से शिकायत के तत्काल निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाने के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।



श्री सजिथ टेली-लॉ सलाह से संतुष्ट थे जिसके कारण उन्हें बैंक अधिकारियों से शिकायत के तत्काल निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाने के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

कोविड विपत्ति से राहत



नेनमेनी गाँव के निवासी श्री शमसुद्दीन केरल राज्य के वायनाड जिले में एक आटो रिक्शा चलाते है। दुर्भाग्य से, 2012 में उनका वाहन तिरुवनंतपुरम के पास मुथुविला में दुर्घटनाग्रस्थ हो गया। उनके खिलाफ पुलिस अधिकारियों द्वारा आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। सम्मन जारी होने पर वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुऐ। हालांकि, अदालत की कार्यवाही में नियमित रूप से उपस्थित होने की गारंटी पर उन्हें न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत दी गई थी। श्री शमसुद्दीन राष्ट्रव्यापी बंद (लॉकडाउन) के कारण सुनवाई के लिए निर्धारित तिथियों पर कोर्ट की कार्यवाही में भाग लेने के लिए वायनाड से तिरुवेन्द्रम (लगभग 450 किलोमीटर) तक नहीं जा पाये। चिंतित श्री शमसुद्दीन यह जानना चाहते थे कि इस अवधि में अदालत में पेश नहीं होने के कारण क्या अदालत द्वारा उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित तो नहीं किया जाएगा।

श्री शमसुद्दीन बेचैन थे, लेकिन शीघ्र ही उन्हें पीएलवी जसीना द्वारा आयोजित एक जागरूकता सल के दौरान टेली-लॉ के बारे में पता चला। वे उन्हें सिद्दीकी ऐ.के. के सीएससी में ले गए और एक पैनल वकील से सलाह के लिए उनका मामला दर्ज करवाया। उनके नियुक्त वकील श्री चिला लाल ने उन्हें बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार देश में किसी भी न्यायालय द्वारा मौजूदा महामारी की स्थिति के दौरान गैर-उपस्थिति के लिए कोई प्रतिकूल आदेश नहीं किया जा सकता है।

इस बात को जान कर श्री शमसुद्दीन को अपनी चिंता से मुक्ति मिली और उन्होने <mark>आवश्यक कानूनी मार्गदर्शन</mark> प्रदान करने के लिए टेली-लॉ का आभार प्रकट किया, जिसने राष्ट्रव्यापी बंद (लॉकडाउन) में उनका कानूनी अधिकार जानने में मदद की।



इस बात को जान कर श्री शमसुद्दीन को अपनी चिंता से मुक्ति मिली और उन्होंने आवश्यक कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए टेली-लॉ का आभार प्रकट किया, जिसने राष्ट्रव्यापी बंद (लॉकडाउन) में उनका कानूनी अधिकार जानने में मदद की।

सुश्री सुबैदा केरल राज्य में वायनाड जिले में वदुवंचल गाँव में रहती हैं। 2016 में उन्होंने वाहन की खरीद के लिए मैसर्स चोलामंडलम फाइनेंस से (एक निजी वित्त कंपनी से) 3,50,000/- रुपए का ऋण लिया था। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण वह अपनी अप्रैल माह की किस्त का भुगतान करने में असम्थ थीं। महामारी के दौरान ईएमआई का भुगतान न करने के कारण उत्पन्न होने वाले वित्तीय प्रभावों के बारे में अनभिज्ञ, सुश्री सुबैदा जानना चाहती थीं कि क्या वह आरबीआई द्वारा घोषित अधिस्थगन (मोराटोरियम) के लिए पात हैं।

पीएलवी जसीना द्वारा आयोजित एक जागरूकता सत्न के दौरान चिंतित सुश्री सुबैदा को टेली-लॉ के बारे में पता चला। जसीना उसे सिद्दीकी ए.के. के सीएससी में ले गईं और एक पैनल वकील के माध्यम से सलाह के लिए उनका मामला दर्ज करवाया। श्री चित्रा लाल वकील किये गये। नियुक्त कंपनी की वेबसाइट के विवरण का विश्लेषण करने पर उन्हे बताया गया कि आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (चोला) उसे 1 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक चोला के ऋण पर 3 महीने तक की मोहलत देगी। इस अधिस्थगन (मोराटोरियम) का मतलब यह होगा कि ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान अनुसूची को तीन महीने आगे के लिए खिसका दिया जाएगा।

वांछित सूचना प्राप्त होने पर सुश्री सुबैदा ने ऑनलाइन अधिस्थगन (मोराटोरियम) के लिए आवेदन किया और बैंक द्वारा दिए गए "ऋण अधिस्थगन" उपाय के तहत बहुत राहत महसूस की।



श्री सुबीन बाबू केरल में वायनाड जिले के पुलपल्ली गाँव में रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि जुलाई, 2020 में जब वे अपने दोपहिया वाहन पर सवार होकर कहीं जा रहे थे तो उन्हें पैट्रोल ड्यूटी कर रही पुलिस ने फेस मास्क न पहनने के लिए बुक किया था। पुलिस ने उनके आवासीय पते को नोट किया और सूचित किया कि उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सम्मन मिलेगा। चिंतित और भयभीत, श्री सुबीन बाबू फेस मास्क न पहनने के कानूनी परिणामों को जानना चाहते थे।

श्री सुबीन बाबू को पीएलवी मैथ्यू टी.जी. के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला, जिन्होंने उन्हें अपना मामला टेली-लॉ के तहत दर्ज करवाने के लिए वीएलई सुभाष पी.आर. के सीएससी जाने के लिए कहा। उनके नियुक्त वकील श्री चित्रा लाल ने उन्हें समझाया कि कोरोना वायरस के संक्रमण में वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़े उपाए के रूप में, केरल राज्य सरकार ने लोगों के लिए एक वर्ष के लिए कोविड-19 सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर उचित तरीके से फेस मास्क पहनना भी शामिल है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा 10,000/- रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। पैनल वकील ने आगे बताया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा न्यायालय में अंतिम आरोप पत्न दाखिल कर दिए जाने पर श्री सुबीन बाबू को न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट से सम्मन प्राप्त होगा। सम्मन की प्राप्ति के बाद, श्री बाबू को दोषी मानते हुए जुर्माना देना होगा। लेकिन यदि वह अपने खिलाफ आरोप से इनकार करना चाहते हैं तो उन्हें अदालत में मामला लंडने का अधिकार है।

श्री बाबू ने पाया कि टेली-लॉ योजना से उन्होंने मामले की गंभीरता को समझा और उन्होंने निर्णय लिया कि वह मास्क पहनने की आवश्यकता के बारे में सभी को संवेदनशील बनाएँगे।



श्री बाबू ने पाया कि टेली-लॉ योजना से उन्होंने मामले की गंभीरता को समझा और उन्होंने निर्णय लिया कि वह मास्क पहनने की आवश्यकता के बारे में सभी को संवेदनशील बनाएँगे। कोविड-19 के कारण, तेलंगाना के वारंगल जिले के वाविलला गाँव की **सुश्री स्वाति रेड्डी** को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। "डाटा एंट्री" के पद के लिए नौकरी का एक विज्ञापन देखने पर उसने विज्ञापन में वर्णित व्यक्ति से नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए संपर्क किया। नियोक्ता ने डाटा के लिए सुश्री स्वाति को 1800/- रुपए का भुगतान करने को कहा। उसने इस राशि का भुगतान कर दिया और डाटा बनाकर इसे नियोक्ता को सौंप दिया। इसके बाद, नियोक्ता ने उसके कॉल और संदेशों का जवाब देना बंद कर दिया।

घबराई हुई सुश्री स्वाति को वीएलई मुस्कु संदीप के माध्यम से इस योजना के बारे में पता चला, जिन्होंने उन्हें टेली-लॉ सेवा के तहत पैनल वकील से सलाह लेने के लिए कहा।

सुश्री चेतना उडवाला इस मामले के लिए नियुक्त पैनल वकील थीं जिन्होंने उसे पुलिस स्टेशन में एक एफ़आईआर दर्ज करने और नियोक्ता की गतिविधि के खिलाफ सभी संगत दस्तावेज़ जैसे भुगतान विवरण, कॉलिंग विवरण, संदेश आदि प्रस्तुत करने की सलाह दी।

सुश्री स्वाति ने सलाह को मानते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की है और अधिकारियों ने उसे सूचित किया है कि वे शीघ्र ही भुगतान के मुद्दे का समाधान करेंगे। सुश्री स्वाति टेली-लॉ की शुक्रगुजार हैं कि इसने एक फ्रॉड व्यक्ति के खिलाफ अपना केस लड़ने के लिए आवश्यक साहस प्रदान किया।



सुश्री स्वाति टेली-लॉ की शुक्रगुजार हैं कि इसने एक फ्रॉड व्यक्ति के खिलाफ अपना केस लड़ने के लिए उन्हें आवश्यक साहस प्रदान किया। मुहम्मद हसीब उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले के इस्लाम नगर गाँव में किराए पर एक दुकान चलाते हैं। वहीं से अपनी दैनिक कमाई करते है। कोविड-19 के दौरान, वह अपनी दुकान नहीं खोल पाये थे। लेकिन दुकान का मालिक उन्हें दुकान का किराया देने के लिए कह रहा था। इस वित्तीय कठिनाई से निपटने के बारे में चिंतित पीएलवी दीपक कुमार ने मुहम्मद हसीब को टेली-लॉ योजना के बारे में बताया। तत्पश्चात वीएलई सुश्री कविता बावा ने कानूनी सलाह के लिए उसके मामले को पंजीकृत कराया जिसमें सुश्री श्वेतांजली मिश्रा को उनका वकील नियुक्त किया गया।

मुहम्मद हसीब को सलाह दी गई थी कि दुकान का मालिक उन्हें ज़बरदस्ती किराया देने के लिए नहीं कह सकता है या उन्हें बेदखल नहीं कर सकता है, लेकिन वह छोटी-छोटी किश्तों का भुगतान करने या किराया राशि को कम करने के लिए मकान मालिक से अनुरोध कर सकते है। उन्हें गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बारे में भी अवगत कराया गया था, जिसमें राज्य/केंद्र सरकार को एक महीने की अवधि के लिए भू-स्वामियों द्वारा श्रमिकों के लिए किराया माफ करने का निर्देश दिया गया था।

वकील की सलाह को मानते हुए मुहम्मद हसीब ने दुकान के मालिक से कहा कि वह छोटी किश्तों में राशि का भुगतान करेंगे, जिस पर दुकान का मालिक सहमत हो गया।



वकील की सलाह को मानते हुए मुहम्मद हसीब ने दुकान के मालिक से कहा कि वह छोटी किश्तों में राशि का भुगतान करेंगे, जिस पर दुकान का मालिक सहमत हो गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पतिदया धाकड़ गाँव के निवासी श्री पवन गौर कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों और सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जानकारी चाहते थे। श्री पवन के एक रिश्तेदार ने उन्हें टेली-लॉ स्कीम के बारे में बताया। वीएलई ब्रजमोहन कार्पेंटर ने उनका मामला दर्ज करने में मदद की जिसके लिए श्री अभिनव मणिकपुरी को उनका वकील नियुक्त किया गया था। श्री पवन को हाथों को बार-बार साफ करके और आँखों और चेहरे को बार-बार न छूकर कोविड-19 से अपनी और अपने परिवार की रक्षा करने की सलाह दी गई थी। उन्हें अल्कोहल-आधारित हैंड सेनिटाइजर का उपयोग करने या साबुन और पानी से हाथ धोने और सामाजिक दूरी आदि को बनाए रखने की सलाह दी गई थी। उन्हें अल्कोहल-आधारित हैंड सेनिटाइजर को बच्चों की पहुँच से दूर रखने के लिए आगाह किया गया था।

श्री पवन कोविड-19 से बचाव के लिए किए, जाने वाले विभिन्न एहतियाती उपायों को जान कर प्रसन्न थे। वे बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने में लोगों की मदद करने के लिए टेली-लॉ के शुक्रगुजार थे।



श्री पवन कोविड-19 से बचाव के लिए, किए जाने वाले विभिन्न एहतियाती उपायों को जान कर प्रसन्न थे। वे बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने में लोगों की मदद करने के लिए टेली-लॉ के शुक्रगुजार थे।




संपत्ति विवाद का समाधान



श्री अनादि बेहरा ओडिशा के कंधमाल जिले के सारंगड़ा गाँव में रहते हैं। श्री बेहरा अपनी कृषि भूमि पर अपना घर बनाना चाहते थे। हालांकि, स्थानीय राजस्व प्रभारी (आरआई) ने कृषि उद्देश्यों के लिए निर्धारित भूमि पर अपना घर बनाने की अनुमित देने से इनकार कर दिया। अपने गाँव में सीएससी में टेली-लॉ के बैनर के माध्यम से श्री बेहरा ने वीएलई, मनोरंजन विश्नोई से संपर्क किया और कानूनी सलाह लेने के लिए अपना मामला दर्ज किया।

उनके मामलों में नियुक्त पैनल वकील, श्री अमित कुमार बारिक ने श्री बेहरा को सलाह दी कि वे स्थानीय तहसीलदार कार्यालय जाएँ और सभी संबंधित कानूनी दस्तावेजों के साथ भूमि रूपांतरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करें। तहसीलदार या भूमि के आयुक्त द्वारा उनके दस्तावेजों की जांच करने पर पाया गया कि उस भूमि पर कोई बकाया राशि और मुक़दमेबाज़ी नहीं है, उन्हें कनवर्ज़न फीस जमा करने और अन्य प्रक्रियात्मक चरणों का पालन करने के लिए कहा गया। इस तरह श्री बेहरा की कृषि भूमि को आवासीय उद्देश्यों के लिए परिवर्तित कर दिया गया।

आवेदक ने वकील की सलाह पर ध्यान दिया। टेली-लॉ के कारण एक साधारण व्यक्ति का अपना घर बनाने का सपना पूरा हो पाया।



ओडिशा में कंधमाल जिले के कोटागढ़ गाँव में श्री सैमुअल नायक अपने पैतृक संपत्ति में अपने भाई के साथ रहते थे। जल्द ही दोनों भाइयों में पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से को लेकर विवाद हो गया। श्री सैमुअल नायक अपनी पैतृक संपत्ति पर अपना घर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके बड़े भाई ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। श्री नायक को वीएलई श्री बिघ्नराज नायक से टेली-लॉ स्कीम के बारे में पता चला, जिन्होंने कानूनी सलाह के लिए उनके केस को दर्ज करने के लिए भी उनकी सहायता की।

इस मामले में नियुक्त पैनल वकील श्री अमित कुमार बारिक ने सलाह दी कि आपसी समझ से कानूनी वारिसों में संपत्ति को बंटवारा किया जा सकता है और उसके बाद वे अपनी संपत्ति में अपनी पसंद के अनुसार अपने हिस्से का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ओडिशा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 के 19ग के तहत वे अपने स्थानीय तहसीलदार कार्यालय में संपत्ति के आपसी बंटवारे का मामला दर्ज कर सकते हैं।

वकील की सलाह को मानते हुए तहसीलदार कार्यालय में आपसी बंटवारे के लिए मामला दायर किया गया। तहसीलदार ने सभी (कानूनी-वारिसों) को नोटिस भेजा और बाद में उनकी उपस्थिति में सभी कानूनी वारिसों के बीच जमीन का समान रूप से बंटवारा किया गया। इस प्रकार टेली-लॉ ने दो भाइयों के बीच विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और श्री नायक को अपना घर बनाने में मदद की।



इस प्रकार टेली-लॉ ने दो भाइयों के बीच विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और श्री नायक को अपना घर बनाने में मदद की। पंजाब में फिरोजपुर जिले के महलम गाँव में रहने वाले 75 साल के श्री जोगिंदर सिंह, स्ट्रीट हॉकर को उनके भाई ने 50 वर्ग गज की उनकी आवासीय जमीन पर घर बनाने से मना कर दिया। उस समय जब श्री जोगिंदर दूर गऐ हुऐ थे, उनके भाई ने उनकी जमीन को अतिक्रमित कर लिया। अतिक्रमण पर जब उन्होंने अपने भाई से एतराज जताया तो उनके भाई द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें बुरी तरह पीटा गया। इस पर उन्होंने अपने भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। हालांकि, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

एक प्रदर्शित टेली-लॉ पोस्टर ने श्री जोगिंदर को एक पैनल वकील से कानूनी सलाह लेने में मदद की। मामले की गंभीरता को भाँपते हुए, वीएलई हरप्रीत सिंह ने जोगेन्दर को टेली-लॉ के तहत "इंस्टेंट कॉल" के माध्यम से पैनल वकील से सलाह लेने की सलाह दी।

मामले में नियुक्त वकील सुश्री अक्ष बसरा ने उन्हें सलाह दी कि वे स्थानीय पुलिस के खिलाफ उपेक्षित व्यवहार और संबंधित मामले में कार्रवाई करने में देरी के लिए एसएसपी कार्यालय फिरोजपुर में शिकायत दर्ज करें। उन्हें उनकी अतिक्रमित संपत्ति को वापस पाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) फिरोजपुर से मदद लेने की भी सलाह दी गई। वकील की सलाह के बाद, श्री जोगिंदर सिंह ने एसएसपी फिरोजपुर कार्यालय में मामले की सूचना दी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के वकील से भी सलाह ली। इस तरह से टेली-लॉ ने श्री जोगिंदर को अपने विकल्पों का पता लगाने और सर्वोत्तम कार्रवाई को तय करने में मदद की।



इस तरह से टेली-लॉ ने श्री जोगिंदर को अपने विकल्पों का पता लगाने और सर्वोत्तम कार्रवाई को तय करने में मदद की ।

श्री सिकेन्द्र वर्मा के पिता आठ भाई-बहन थे। उनके दादा के पास झारखंड के गिरिडीह जिले के उनके गाँव में कुछ संपत्ति थी। जब वह केवल छह साल के थे, उन्होंने सारी संपत्ति उनके ताऊ (अपने पिता के बड़े भाई) को दे दी। उनके ताऊ ने अपने भाई-बहनों के बीच जमीन को बराबर बाँट दिया और ग्राम पंचायत की भी इसमें सहमित थी। लेकिन अब श्री सिकेन्द्र के चचेरे भाई (ताऊ का बेटा) इस बंटवारे का विरोध कर रहा है और वह सारी जमीन बेचना चाहता है। श्री वर्मा को वीएलई ओंकार कुमार वर्मा के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला। उन्होंने श्री वर्मा के मामले को दर्ज किया और भूमि के स्वामित्व की मांग का सही तरीका जानने के लिए कानूनी मदद लेने में उनकी सहायता की।


इस मामले में नियुक्त पैनल वकील श्री गौरव कुमार सिन्हा ने उन्हें सलाह दी कि अगर पंचायत ने कुछ गवाहों के सामने जमीन का समान बंटवारा किया है तो उनका चचेरा भाई जमीन के दूसरे हिस्से को नहीं बेच सकता। लेकिन अगर उनके ताऊ का बेटा इस बात से सहमत नहीं होता है और फिर भी संपत्ति/जमीन को ज़बरदस्ती बेचता है, तो उन्हें सलाह दी गई कि वह पंचायत द्वारा सत्यापित बंटवारा पत्नों की प्रतिलिपि के साथ न्यायालय में मुकदमा दायर करे। टेली-लॉ ने उन्हें न्याय के लिए लड़ने का आत्मविश्वास और आशा दी।



टेली-लॉ ने उन्हें न्याय के लिए लड़ने का आत्मविश्वास और आशा दी। श्री फुजैल अहमद बारभुईया के दादा जो असम के हैलाकांडी के निवासी थे, के 3 बेटे और एक बेटी थी। उनके दादा का निधन हो जाने पर श्री फुजैल के पिता ने (एक) चाचा-चाची और बुआ के साथ जमीन का स्वामित्व ले लिया था, लेकिन उन्होंने "कोपारसनर" के रूप में भूमि रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज नहीं कराया। इस बीच फुजैल के दूसरे चाचा ने केवल अपने नाम पर जमीन का दाखिल-खारिज करने के लिए आवेदन किया। इसके आधार पर, जमाबंदी और ड्राफ्ट चिट्ठा कॉपी में उनके चाचा का नाम दर्ज हो गया है। उक्त चाचा की मृत्यु के बाद उनके बच्चों ने श्री फुजैल और अन्य कानूनी वारिसों के स्वामित्व के हक को मानने से इनकार कर दिया। तथ्य को गलत तरीके से छिपाने के कारण उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के निरसन के लिए श्री फुजैल ने एक सिविल मुक़दमा दायर किया। हालांकि, अपने मामले में स्पष्ट स्थिति जानने में सक्षम न होने के कारण उन्होंने इस मामले में आगे की कार्रवाई करने के लिए सलाह मांगी।

वीएलई, बदरूल हुड्डा चौधरी द्वारा टेलीफोन पर आयोजित जागरूकता सत्न के दौरान, उन्हें टेली-लॉ योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।

पैनल वकील श्री अभिजीत डेका ने उन्हें सलाह दी कि अदालत को दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता होगी, उन्हें इसलिए अपने मृतक पिता का मृत्यु प्रमाण पत्न लेना चाहिए और उनके बाद जिला कलेक्टर कार्यालय में कानूनी वारिस प्रमाणपत्न के लिए आवेदन करना चाहिए। न्यायालय के समक्ष कुछ प्रामाणिक गवाहों के साथ यह दस्तावेजी साक्ष्य उन्हें स्वामित्व प्राप्त करने और अपने पिता और दादा के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करेगा। उन्हें यह भी समझाया गया था कि अदालत में वह यह समझा और स्थापित कर सकते है कि प्रक्रियात्मक ज्ञान की कमी के कारण वह समय पर उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) के लिए आवेदन करने में विफल रहा। इसके अलावा वह यह भी कह सकता है कि वह दढ़ता से मानता था कि उनका परिवार आपसी समझदारी से और सौहार्दपूर्वक ढंग से सभी मामले को सुलझा लेगा, पर वह यह नहीं जानता था कि उनके एक चाचा इस तथ्य को छिपाते हुए म्यूटेशन के लिए आवेदन करेगा कि कोई अन्य कानूनी वारिस नहीं है।



सलाह ले सके।

इसलिए, श्री फुजैल को संबंधित सर्कल कार्यालय से कोई नोटिस नहीं मिला। म्यूटेशन को रह करने के लिए एक आदेश पारित करने का अनुरोध भी किया जाना चाहिए क्योंकि म्यूटेशन तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था। श्री फुजैल को मामले के अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए भी आवेदन करने के लिए कहा गया था, तािक वह आगे की सलाह लेने के लिए फिर से पैनल वकील के पास आ सके। पहले से अधिक सतर्क, श्री फुजैल ने अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रति और न्यायालय के अन्य प्रासंगिक आदेशों के लिए आवेदन किया, तािक वह टेली-लॉ का उपयोग करके फिर से सलाह ले सके।

श्री महेश कुमार सिंह मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले के एक बहुत ही सुदूर के गाँव जुडवार में रहते हैं। उनका बराबर की आसन्न भूमि के मालिक के साथ विवाद हो गया क्योंकि उस कृषि भूमि में वास्तविक ठोस सीमा नहीं बनी हुई थी, जिसकी वजह से उसने इस पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। श्री सिंह को टेली-लॉ योजना के बारे में श्री अशोक कुमार यादव के माध्यम से पता चला, जो उनके गाँव में कार्यरत वीएलई हैं।

उन्होंने उनका मामला दर्ज कर लिया और उनके मामले को देखने के लिए श्री अभिनव मणिकपुरी को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने श्री सिंह को सलाह दी कि वह अपने मुद्दे के बारे में एसडीएम को एक आवेदन दें और इसे संबंधित स्वामित्व दस्तावेजों के साथ स्थानीय तहसील में जमा कराएं।

वकील की सलाह को मानते हुए श्री सिंह ने इसकी शिकायत स्थानीय तहसील में दर्ज की और इसकी एक प्रति एसडीएम कार्यालय को भी भेजी।



वकील की सलाह को मानते हुए श्री सिंह ने इसकी शिकायत स्थानीय तहसील में दुर्ज की और इसकी एक प्रति एसडीएम कार्यालय को भी भेजी। उन्होंने उनके झगड़े को सुलझाने में उसकी मदद की। टेली-लॉ सेवा ने उन्हें तनाव मुक्त और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन दिया है। श्री गुलाम मोहम्मद भट्ट की जम्मू और कश्मीर में पुलवामा जिले में एक दुकान है। उन्होंने अपनी दुकान को किराएदार को 7 साल के लिए लीज पर दे दिया था। अब जब पट्टे की अवधि समाप्त हो गई, तो किरायेदार ने दुकान खाली करने से इनकार कर दिया और दुकान को अपने कब्जे में रखा है। श्री भट्ट को पीएलवी द्वारा आयोजित जागरूकता सल के दौरान टेली-लॉ स्कीम के बारे में पता चला।

उन्होंने उनका मामला दर्ज करवाया और इस मामले में नियुक्त पैनल वकील सुश्री सुहैला अली ने उन्हें सलाह दी कि मकान मालिक, किरायेदार को बेदखल करने के लिए गलत साधनों का उपयोग नहीं कर सकते। श्री भट्ट उसे ब्याज के साथ किराए की बकाया राशि का भुगतान करने और दुकान से बेदखल करने के लिए कानूनी नोटिस दे सकते हैं। यदि कानूनी नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं किया जाता है, तो श्री भट्ट उक्त राशि की वसूली के लिए मुकदमा भी दायर कर सकते हैं।

टेली-लॉ सेवा के माध्यम से, श्री भट्ट को अपनी समस्या को हल करने का कानूनी तरीका मिला।




अपनी समस्या को हल करने का कानूनी तरीका मिला।

श्री नाज़िम के पास उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक में एक राजमार्ग पर कुछ संपत्ति थी। सड़क विस्तार योजना में सरकार ने सड़क निर्माण के लिए उनकी संपत्ति का अतिक्रमण किया और उन्हें उनकी संपत्ति के लिए मुआवजा दिया। लेकिन कुछ समय बाद, श्री नाज़िम को मुआवजा राशि वापस करने के लिए एक नोटिस मिला, जिसमें कहा गया था कि यह राशि उन्हें गलत तरीके से हस्तांतरित हो गई है। क्षेत्र में काम कर रहे एक पीएलवी श्री खेमानंद को उनकी समस्या के बारे में पता चला और उन्होंने उन्हें अपना मामला दर्ज करने और टेली-लॉ स्कीम के माध्यम से कानूनी मदद लेने की सलाह दी।

श्री विजय कुमार पांडे, पैनल वकील ने उन्हें समझाया कि सड़क परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण एक राष्ट्रीय नीति है। इस संबंध में यदि भूमि मालिक अपनी संपत्ति को देने के लिए तैयार नहीं भी है तो भूमि स्वामी को विकास कार्य में अपनी संपत्ति खोने की एवज में मुआवजा दिया जाता है। उन्हें समझाया गया था कि यदि वह मुआवजे से असंतुष्ट है या वह उचित मुआवजा प्राप्त करना चाहता है तो वह इस नोटिस के आधार पर कोर्ट से स्टे ले सकते है। मुआवजे की रकम लौटाने के कारणों को जानने के लिए उन्हें इस नोटिस पर आरटीआई दाखिल करने के लिए भी कहा गया था।

आवेदक ने बताया कि वह न्यायालय में मामला दायर करेंगे। टेली-लॉ ने उन्हें न्याय के लिए लड़ने का साहस प्रदान किया।



श्री सुनील मनोहर साहू ओडिशा के कंधमाल जिले के बंधागड़ा गाँव में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका खुद का घर बनाने का सपना था, लेकिन उनके पास जो जमीन थी वह आवासीय नहीं थी। दो साल पहले उन्होंने तहसील कार्यालय में भूमि उपयोग को बदलने के लिए आवेदन किया था। उन्होंने इसके लिए अपेक्षित सरकारी शुल्क जमा किया और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का अनुपालन किया। हालांकि, श्री साहू भूमि पट्टा (रिकॉर्ड का अधिकार) प्राप्त करने में विफल रहे। अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बनाने के अपने सपने को पूरा करने के इंतजार में, उन्हें अपने लंबित आवेदन पर कार्रवाई करवाने और भूमि पट्टा प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में पता नहीं था।

एक दिन उन्हें वीएलई, श्री सुरेश कुमार साहू के माध्यम से टेली-लॉ स्कीम के बारे में पता चला। उन्होंने श्री सुनील का मामला दर्ज किया और उनके मामले में नियुक्त पैनल वकील श्री अमित कुमार बारिक ने उन्हें तहसीलदार को लिखित में शिकायत दर्ज करने की सलाह दी और उसकी एक प्रति कलेक्टर को भी भेजने की सलाह दी, जिसमें कहा गया हो कि तहसील कार्यालय से उनका भूमि पट्टा प्राप्त करने में अकारण देरी हो रही है।

वकील की सलाह को मानते हुए आवेदक ने अपनी समस्या का उल्लेख करते हुए तहसीलदार और जिला कलेक्टर को एक आवेदन दिया। तत्पश्चात, तहसीलदार ने तहसील कार्यालय के प्रधान लिपिक को पट्टा जारी करने का आदेश दिया। 15 दिनों के बाद आवेदक को अपना पट्टा (रिकॉर्ड का अधिकार) मिला। टेली-लॉ प्रभावी रूप से एक परिवार को अपना घर का सपना पूरा करने में कामयाब रहा।



15 दिनों के बाद आवेदक को अपना पट्टा (रिकॉर्ड का अधिकार) मिला। टेली-लॉ प्रभावी रूप से एक परिवार को अपना घर का सपना पूरा करने में कामयाब रहा।



स्चना से स्थाक्तिकरण



श्रीमती मुप्पीदी स्पंदना, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के पालगरा गाँव की निवासी हैं। उनके ससुर उनके पित को 15 एकड़ जमीन देना चाहते थे। हालांकि, श्रीमती मुप्पीदी की भाभी ने संपत्ति में अतिरिक्त हिस्सेदारी की मांग की, बावजूद इसके कि उनके विवाह के समय उनका हिस्सा उन्हें मिल गया था। श्रीमती मुप्पीदी को जागरूकता अभियान के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला। उन्होंने वीएलई, श्री मारी कुमारस्वामी से संपर्क किया और संपत्ति के अधिकार पर कानूनी सलाह लेने के लिए अपना मामला दर्ज किया।

उनके मामले के लिए नियुक्त पैनल वकील चेतना उडवाला ने सलाह दी कि चूंकि वह जमीन पैतृक संपत्ति नहीं है और इसे श्रीमती मुप्पीदी के ससुर द्वारा खरीदा गया है, इसलिए उस पर बेटियों का कोई अधिकार नहीं बनता है। पैनल वकील ने पुष्टि की कि संपत्ति का अधिकार केवल उनके ससुर का है।

श्रीमती मुप्पीदी स्पंदना अपने संपत्ति अधिकारों के बारे में जानकारी दिए जाने के लिए टेली-लॉ सेवा के लिए बहुत आभारी हैं।



श्रीमती मुप्पीदी स्पंदना अपने संपत्ति अधिकारों के बारे में जानकारी दिए जाने के लिए टेली-लॉ सेवा के लिए बहुत आभारी हैं। श्री रफीक अपने परिवार के साथ केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा गाँव में रहते है। चार साल पहले उन्होंने एक एजेंट चन्द्रशेखरन पिल्लै को विदेश में कार्यरत वीजा पाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए। इसके लिए उन्होंने अपने खाते से एक लाख रुपए और बाकी धनराशि कैश में दी। चार साल बाद जब एजेंट उनके लिए वीजा की व्यवस्था नहीं कर पाया और उनके पैसे वापस करने से इनकार कर दिया तो श्री रफीक ने अपने पैसे वापस पाने के लिए थमारस्सेरी मुंसिफ़ कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। उन्होंने कोर्ट के समक्ष सभी सबूतों को प्रस्तुत किया लेकिन माननीय मुंसिफ़ की अदालत ने मुकदमे को खारिज कर दिया।

श्री रफीक को वीएलई श्री जिंसन पी.जे. के माध्यम से टेली-लॉ स्कीम के बारे में पता चला, जिन्होंने उन्हें अपना मामला दर्ज करने के लिए कहा।

श्री चिता लाल को उनका पैनल वकील नियुक्त किया गया था। श्री चिता लाल ने श्री रफीक को बताया कि किसी मामले में मुंसिफ़ की अदालत द्वारा दिया गया निर्णय उस अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों पर आधारित होता है। मुकदमें को खारिज करने का कारण उसके दिए गए निर्णय के विवरण में होगा। वह अपने वकील के माध्यम से आवेदन दाखिल करके उस निर्णय की एक प्रति प्राप्त कर सकते है और निर्णय का विश्लेषण कर सकते है। यदि निर्णय अन्यायपूर्ण महसूस होता है, तो वह अपीलीय अदालत के सामने अपील दायर कर सकते है, जिसमें न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी गई हो।

श्री रफीक ने निर्णय की प्रति के लिए आवेदन किया है और वह टेली-लॉ के आभारी है जिसके कारण उनके मामले में उनके संदेह का समाधान हो पाया।



श्री रफीक ने निर्णय की प्रति के लिए आवेदन किया है और वह टेली-लॉ का आभारी है जिसके कारण उनके मामले में उनके संदेह का प्रभावी ढंग से निराकरण हो पाया है। श्री नंदिकशोर अहिरवार, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक पैरा लीगल वालांटियर हैं। वह एफ़आईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करने की सटीक प्रक्रिया को लेकर उलझन में थे। उन्होंने अपना संदेह दूर करने के लिए टेली-लॉ स्कीम के तहत अपना मामला दर्ज कराया। पैनल के वकील श्री अभिनव मणिकपुरी ने श्री नंदिकशोर को सरल शब्दों में इसकी प्रक्रिया और एफ़आईआर के बारे में बताया।

श्री अभिनव ने उन्हें बताया कि कोई भी पुलिस स्टेशन में एफ़आईआर या प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्ज कर सकता है और उसके लिए किसी को उस विशेष क्षेत्र में होना जरूरी नहीं है जहां अपराध हुआ हो। लेकिन, हमेशा नजदीकी पुलिस स्टेशन का दौरा करना बेहतर होता है क्योंकि बिना किसी देरी के तुरंत एफ़आईआर की जानी होती है। उन्होंने आगे श्री नंदिकशोर को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति अपराध का शिकार हुआ हो, यदि उसने कोई अपराध होते हुए देखा हो अथवा यदि उसे किसी अपराध के बारे में जानकारी हो तो वह एफ़आईआर दुर्ज कर सकता है।

अगर मौखिक रूप से अपराध के बारे में जानकारी दी जाती है, तो पुलिस को इसे लिखना होगा। इस तरह से रिकॉर्ड की गई जानकारी उस व्यक्ति को पढ़कर सुनाई जानी चाहिए, जो एफ़आईआर दर्ज करवा रहा है। एक बार रिकॉर्ड करने के बाद इस पर जानकारी देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए और यदि व्यक्ति पढ़ या लिख नहीं सकता है तो दस्तावेज़ पर उसके बाएं हाथ का अंगूठा निशान लिया जाना चाहिए। यह व्यक्ति का अधिकार है कि उसे एफ़आईआर की कॉपी नि:शुल्क प्राप्त हो।

बाद में, पैनल वकील ने विस्तार से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से अवगत कराया और बताया कि शिकायत ऑनलाइन और ऑफलाइन भी दर्ज की जा सकती है। श्री नंदिकशोर टेली-लॉ सेवा के कृतज्ञ थे कि पैनल वकील ने उनकी शंकाओं को दुर किया और अब उनके पास सही जानकारी है।



श्री नंदिकशोर टेली-लॉ सेवा के कृतज्ञ थे कि पैनल वकील ने उनकी शंकाओं को दूर किया और अब उनके पास सही जानकारी है। लक्ष्मण कुमार डाडसेना, एक वी.एल.ई. हैं जो छत्तीसगढ़ के महासमुंद शहर में अपना कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) अलाटमेंट नंबर का लाभ उठाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी न होने के कारण, उन्होंने खुद को टेली-लॉ योजना के तहत पंजीकृत किया। श्री माहेश्वरी टंडन को उनका पैनल वकील नियुक्त किया गया।

श्री माहेश्वरी टंडन ने उन्हें जीएसटी नंबर या जीएसटीन के आवंटन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने उल्लेख किया कि जीएसटीन 15 अंकीय पैन आधारित पहचान नंबर है जो जीएसटी के तहत हर पंजीकृत व्यक्ति को आवंटित किया जाता है इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवंदन किया जा सकता है। जीएसटी पंजीकरण के लिए मुख्य दस्तावेजों में पैन कार्ड, व्यवसाय पंजीकरण का प्रमाण, पहचान का प्रमाण (फोटो) और पते का प्रमाण, व्यवसाय का पता प्रमाण और बैंक खाता विवरण शामिल हैं। जीएसटी व्यवस्था में उन व्यक्तियों को जिनका कारोबार 20 लाख रुपए (उत्तर-पश्चिमी और पहाड़ी राज्यों के लिए 10 लाख रुपए) से अधिक का है, एक सामान्य कर योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीकृत होना अपेक्षित है। पंजीकरण की इस प्रक्रिया को जीएसटी पंजीकरण कहा जाता है।

कुछ व्यवसायों के लिए, जीएसटी के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। अगर कोई संगठन जीएसटी के तहत पंजीकरण के बिना कारोबार करता है तो ऐसा करना जीएसटी के तहत अपराध होगा और इस पर भारी जुर्माना लागू होगा।

श्री लक्ष्मण कुमार डाडसेना, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बारे में उन्हें जागरूक बनाने के लिए टेली-लॉ के आभारी हैं और वे अब अपने व्यवसाय को एक आत्मविश्वास और कानूनी तरीके से आगे ले जाने के लिए सशक्त महसूस करते हैं।



श्री लक्ष्मण कुमार डाडसेना, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बारे में उन्हें जागरूक बनाने के लिए टेली-लॉ के आभारी हैं और वे अब अपने व्यवसाय को एक आत्मविश्वास और कानूनी तरीके से आगे ले जाने के लिए सशक्त महसूस करते हैं। श्री अंकित ठाकुर एक पीएलवी हैं, जो हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के बीना गाँव में रहते हैं। उनका मामला पहले से ही कोर्ट में लंबित था और वे अपने मामले की वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने टेली-लॉ के तहत पंजीकरण किया और पैनल वकील सुश्री अदिति भारद्वाज से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। सुश्री भारद्वाज ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने अधिवक्ता से अपने मामले की स्थिति के बारे में सलाह लें। हालांकि, वह अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर से ई-कोर्ट मोबाइल एप्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री ठाकुर ने ई-कोर्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड किया और अपने कोर्ट केस की स्थिति के बारे में जाना। इसके लिए वह टेली-लॉ योजना के लिए आभारी हैं और प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट हैं।



श्री ठाकुर ने ई-कोर्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड किया और अपने कोर्ट केस की स्थिति के बारे में जाना। इसके लिए वह टेली-लॉ योजना के लिए आभारी हैं और प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट हैं। सुश्री कल्पना हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में पुखरी गाँव की निवासी हैं। एक दिन अपनी स्कूटी चलाते समय उन्होंने गलती से यातायात नियम का उल्लंघन कर दिया। इसके लिए उन्हें ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से उनके मोबाइल पर ई-चालान प्राप्त हुआ। सुश्री कल्पना को ऑनलाइन चालान का भुगतान करने की प्रक्रिया के बारे में पता नहीं था। उन्हें वीएलई श्री देविन्दर कुमार के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला। श्री कुमार ने ई-चालान फाइलिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए उनका मामला दर्ज किया।

उनके मामले के लिए नियुक्त पैनल वकील सुश्री अदिति भारद्वाज ने उन्हें सलाह दी कि वह नोटिस जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर ई-चालान का ऑनलाइन/ऑफलाइन भुगतान कर सकती हैं। ट्रैफिक ई-चालान एप्लिकेशन भी डाउन्लोड किया जा सकता है और यह उस वेब आधारित पोर्टल एप्लिकेशन से जुड़ा है, जिसे 'वाहन' या 'सारथी' कहा जाता है। आवेदक संबंधित राज्य परिवहन विभाग की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकता है। यदि आवेदक ऑफलाइन मोड का विकल्प चुनना चाहता है तो वह ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान नोटिस (यदि कोई प्राप्त होता है) के साथ अपने निवास के निकटतम पुलिस स्टेशन जा सकता है।

सुश्री कल्पना टेली-लॉ की बहुत आभारी हैं जिसके कारण वह निर्धारित समय-सीमा के भीतर चालान राशि का ऑनलाइन भुगतान करने में सक्षम हो पाईं।



सुश्री कल्पना टेली-लॉ की बहुत आभारी हैं जिसके कारण वह निर्धारित समय-सीमा के भीतर चालान राशि का ऑनलाइन भुगतान करने में सक्षम हो पाईं। सुश्री येकियुशे ने नागालैंड में किफायर जिले के सुवोंग वार्ड में सरकारी निर्माण स्थल पर एक मजदूर के रूप में काम करती थी। हालांकि उनकी आमदनी निर्धारित थी, परंतु उन्होंने महसूस किया कि यह बहुत ही कम है। अपने काम के दौरान उन्हें 'न्यूनतम वेतन' शब्द के बारे में पता चला और इस संबंध में उन्हें बताया गया था कि सरकार, मजदूरों को न्यूनतम राशि का भुगतान करती है। सुश्री येकियुशे न्यूनतम वेतन नीति के बारे में अधिक जानना चाहती थीं। उनके गाँव में श्री असंगथोंग के. जो वीएलई हैं, के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला। उन्होंने योजना के तहत अपना मामला दर्ज किया ताकि उन्हें न्यूनतम मजदूरी के बारे में उचित जानकारी प्राप्त हो सके।

पैनल वकील सुश्री निकसुंगला ने सबसे पहले उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के बारे में समझाया और बताया कि प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के आधार पर राशि तय करती है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार, निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में ₹176/- (अकुशल के लिए), ₹210/- (अर्ध-कुशल के लिए) और ₹235/- (कुशल के लिए) शामिल है। इसलिए, एक महीने में अकुशल कर्मचारी (₹5280/-) अर्ध-कुशल (₹6300/-) और कुशल (₹7050/-) कमा सकता है। सुश्री निकसुंगला ने सुश्री येकियुशे को यह पता लगाने की सलाह दी कि वह किस श्रेणी के तहत पात हैं और यदि उन्हें उपरोक्तानुसार मजदूरी नहीं मिल रही है तो वह श्रम कार्यालय में शिकायत दर्ज कर सकती है। सुश्री येकियुशे टेली-लॉ सर्विस की शुक्रगुजार है कि उन्हें बिना किसी परेशानी के मुफ्त में कानूनी सलाह मिली और वह भविष्य में अपने श्रम के लिए उचित राशि की भी मांग करेंगी।



सुश्री येकियुशे टेली-लॉ सर्विस की शुक्रगुजार है कि उसे बिना किसी परेशानी के मुफ्त में कानूनी सलाह मिली और वह भविष्य में अपने श्रम के लिए उचित राशि की भी मांग करेंगी। श्री राजेंद्र छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले के चारबाठा गाँव में रहते हैं। उन्होंने "इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन (IHHL)" के लिए एक आवेदन दिया था, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। "इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन (IHHL) के तहत शौचालय के निर्माण में तेजी लाने और अपने आवेदन की स्थिति का पता लगाने के संबंध में श्री राजेंद्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में आने-जाने से तंग आ गए थे। उन्हें वीएलई श्री शिवकुमार पटेल के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला। उन्होंने श्री राजेंद्र को सलाह दी कि वह इस योजना के तहत अपना मामला दर्ज करें ताकि उन्हें किसी पेशेवर वकील द्वारा उचित जानकारी मिल सके।

उनके नियुक्त पैनल वकील श्री अभिनव मणिकपुरी ने उन्हें "इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन (IHHL)" के आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने की प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्हें बताया गया कि वे "स्टेटस" मैन्यु या 'IHHL एप्लिकेशन' पर क्लिक करके अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। यह आवेदक के लॉगिन आईडी द्वारा किये गए सभी अविदा विवरणों को दर्शाएगा। उसके बाद, वे सूची में नाम की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा वे, एप्लिकेशन आईडी या आवेदक का नाम दर्ज करके और उसके बाद 'सर्च' बटन पर क्लिक करके भी आवेदन को ढूंढ सकते हैं।

टेली लॉ स्कीम के कारण श्री राजेंद्र को IHHL वेबसाइट से "इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन (IHHL)" एप्लिकेशन को ट्रैक करने की प्रक्रिया की जानकारी मिली।



टेली लॉ स्कीम के कारण श्री राजेंद्र को IHHL वेबसाइट से "इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन (IHHL)" एप्लिकेशन को ट्रैक करने की प्रक्रिया की जानकारी मिली।

श्रीमती हेमवंती देवी बिहार के भोजपुर जिले के पडसौरा डेरा गाँव में अपने परिवार के साथ एक कच्चे मकान में रहती हैं। उन्हें अपने पड़ोसियों से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमजीएवाई) के बारे में पता चला, जिसमें पक्के मकान के निर्माण के लिए कुछ फंड मिल सकता है। चूंकि वह बीपीएल श्रेणी की है, इसलिए वह (पीएमजीएवाई) योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहती थी। उन्हें पैरा लीगल वालंटियर (पीएलवी) श्री हरी नारायण सिंह द्वारा आयोजित जागरूकता प्रोग्राम के माध्यम से टेली-लॉ स्कीम के बारे में पता चला, उन्होंने अपना मामला दर्ज करवाया क्योंकि वह प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमजीएवाई) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहती थी।

पैनल के वकील श्री अजय कुमार मिश्रा ने उन्हें इंदिरा आवास योजना के लिए संबंधित दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बीपीएल कार्ड, भूमि दस्तावेज़, आय प्रमाणपत्न आदि की प्रतियों के साथ खंड विकास कार्यालय (बीडीओ) में एक आवेदन जमा करने की सलाह दी। आवेदिका का इस योजना के लिए पहले आवेदन किया हुआ नहीं होना चाहिए। दस्तावेजों की जांच के बाद यदि आवेदक को पात्न पाया जाता है, तो आय स्लैब के अनुसार ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। पैनल वकील की सलाह को मानते हुए, श्रीमती हेमवंती देवी ने योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए बीडीओ कार्यालय में प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया।



श्रीमती देवी, टेली-लॉ सेवा की बहुत आभारी हैं, जिसके कारण अब उनका खुद का पक्का घर है और जिसके कारण वे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ उठा पाईं।

टेली लॉ का प्रक्रिया प्रवाह





न्याय विभाग टेली-लॉ सेवा (वंचितों तक पहुंचना) को सरल बनाने के लिए अपने सहयोगियों के समर्थन और सहायता का आभार व्यक्त करता है।





6-GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED

CSC e-Governance Services India Limited

Disclaimer

*गोपनीयता बनाए रखने के लिए लाभार्थियों के नाम बदल दिए गए हैं। प्रकाशित प्रशंसापत्न सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा एकत्न और सत्यापित आंकड़ों पर आधारित हैं।

© 2021 Department of Justice. All Rights Reserved